वार्षिकी-2015, अंकः 2

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय

ENFORCEMENT DIRECTORATE

प्रवर्तन दिवस, 2015 के अवसर पर उद्धघाटन प्रज्जवलित करते हुए
मुख्य अतिथि माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली

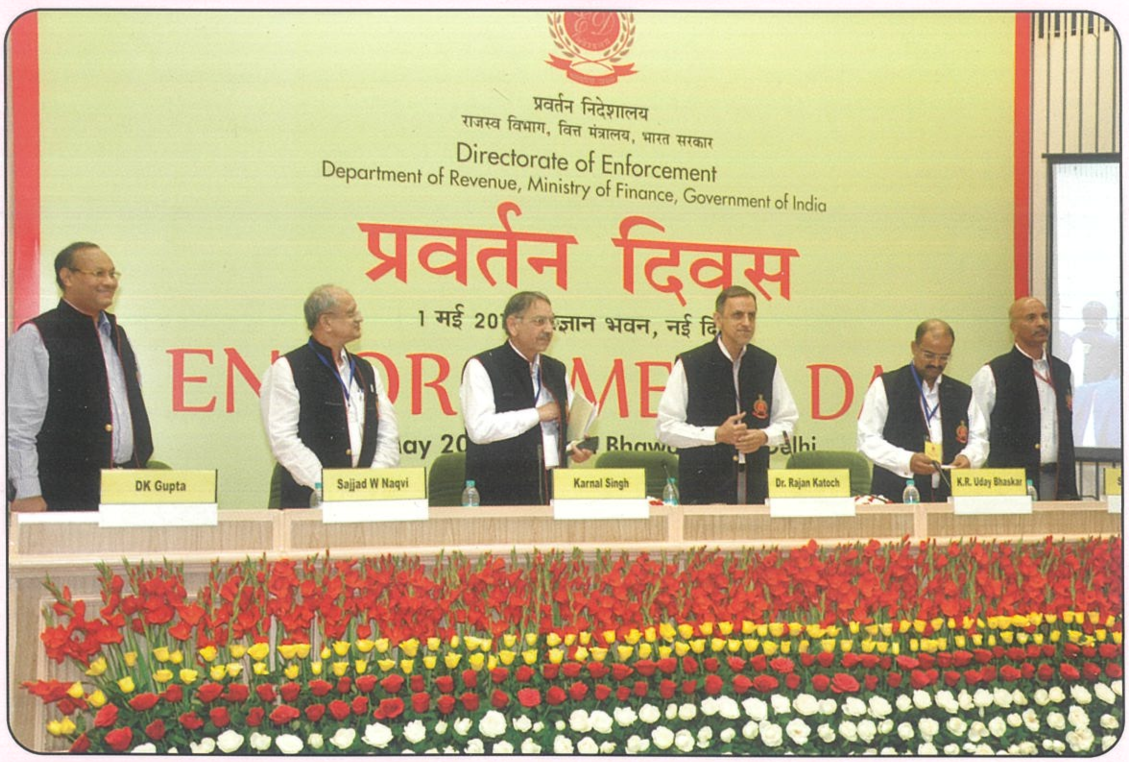

प्रवर्तन दिवस, 2015 के अवसर पर ऑपन हाउस की समाप्ति
पर निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारीगण

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) की
वार्षिक पत्रिका
भारत सरकार, नई दिल्ली।

वर्ष–2015

क्रम सं.	शीर्षक	लेखक का नाम	पृष्ठ
1	प्रवर्तन निदेशालय की उपलब्धियाँ वर्ष (2014–15)	निरंजन सुबुद्धि	9
2	हिन्दी भाषा का स्वरूप व राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश	जगदीश प्रसाद मीना	12
3	प्रवर्तन दिवस 1 मई, 2015	मोहन सिंह	16
4	वित्त अधिनियम 2015 के अंतर्गत किये गये धन शोधन निवारण अधिनियम (2002) तथा फेमा (1999) के अंतर्गत किये गये संशोधन	आशीष चंद्र सिंह	18
5	राजभाषा हिन्दी और हम	बाल किशन	19
6	फेमा और भारतीय रिजर्व	नीता बेहरामफ्राम	22
7	अंतर्राष्ट्रीय धनशोधन निवारण सहयोगः एक सिंहावलोकन	अनिल के रावल	27
8	प्रशिक्षण से सशक्तिकरण की ओर	हिमांशु कुमार लाल	30
9	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण जॉच	ए. के. कौशल	32
10	जयपुर के राजा श्री गोविन्द की महिमा	विजय आचार्य	33
11	अविस्मरणीय यात्रा/वृतान्त	मंगल सिंह	34
12	प्रवर्तन निदेशालय में अपनाये गये बुनियादी मूल्य	वेदप्रकाश वर्मा	36
13	नारी	मनीष पुनियां	37
14	हिन्दी का पखवाड़ा	अनु वर्मा	38
15	आओ दिवाली मनाये	भूपेंद्र सिंह नेगी	39
16	हिन्दी दिवस का नारा	मनोज कुमार	40
17	ज़िन्दगी और मैं	अमित कुमार वर्मा	41
18	गाथा औरत की	सचिन्द्रनाथ पांजा	42
19	पिता एवं पिता के बाद	सुंदर साव	43
20	लौट चलो पूरब की ओर	कुल भूषण	44
21	गुरु शरण	राजकुमार सिंह	45
22	हे ईश्वर	आशीष कुल बर्णमाल	46
23	प्रकृति और मां	मनोज कुमार वर्मा	47
24	पानी	अशोक कु० श्रीवास्तव	48
25	एक दिन ऐसा भी आऐगा	ज़े० ऐ० ज़ैदी	49
26	आँसू	कन्हैयालाल	50
27	सुबह	हरेंद्र	51
28	देश	पुलकित	52

मुख्य संरक्षकः
श्री कर्नल सिंह
प्रवर्तन निदेशक

मुख्य संपादकः
श्री डी॰ के॰ गुप्ता
विशेष निदेशक

संपादकः
जगदीश प्रसाद मीना
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादक मंडलः
श्री मोहन सिंह
सहायक निदेशक

श्री अनूप सिंह रौथान
सहायक निदेशक

श्री वी पी वर्मा
सहायक निदेशक

श्री संदीप अग्रवाल
सहायक निदेशक

श्री बाल किशन
वरिष्ठ अनुवादक

श्री प्रेम सिंह मीना
सहायक प्रवर्तन अधिकारी

श्री कन्हैया लाल
सहायक

पत्र व्यवहार के लिए पताः
कमरा सं0 44, हिंदी अनुभाग, प्रवर्तन निदेशालय,
छठा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003

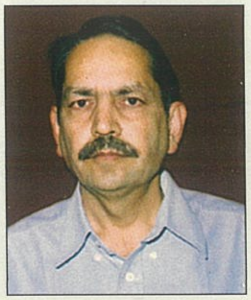

प्रवर्तन निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि निदेशालय (मुख्यालय) अपनी गृह पत्रिका ''प्रवर्तन संदेश'' का प्रकाशन कर रहा है। हिंदी के प्रचार–प्रसार के क्षेत्र में निदेशालय के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप ''प्रवर्तन संदेश'' ने देशभर में अपनी पहचान साबित की है।

दिल्ली स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही हिंदी के प्रचार–प्रसार का प्रमुख केन्द्र रही है और कालांतर में केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा भी राजभाषा के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच भी प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) ने हिंदी भाषा की गरिमा कायम रखते हुए राजभाषा के रूप में इसकी स्थापना हेतु उल्लेखनीय कार्य किया है।

आज हिंदी एक विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। मेरी कामना है कि सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें, जिससे इस भाषा का बहुमुखी विकास हो सके।

''प्रवर्तन संदेश'' अंक के प्रकाशन हेतु निदेशालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं ।

कर्नल सिंह

(कर्नल सिंह)

विशेष निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

बड़े हर्ष की बात है कि प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) अपनी गृह पत्रिका "प्रवर्तन संदेश" के दूसरे अंक का प्रकाशन कर रहा है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि गत वर्ष निदेशालय में मेरे अपर निदेशक के पद पर रहते हुए पत्रिका ने "प्रवर्तन संदेश" नामकरण के साथ सफर आरंभ किया और अब निरंतर सफल प्रकाशन की ओर अग्रसर है। पत्रिका का प्रकाशन इस बात को दर्शाता है कि निदेशालय में हिंदी के लेखन के प्रति रूचि रखने वाली प्रतिभाओं की कमी नहीं है ।

रचनाकारों के हिंदी ज्ञान एवं लेखन प्रतिभा का उपयोग यदि हिंदी में सरकारी कार्य में होने लगे तो निःसंदेह पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा क्योंकि हिंदी पत्रिका के प्रकाशन का असल उद्देश्य तो अंततः कर्मचारियों को हिंदी में सरकारी कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।

"प्रवर्तन संदेश" सकारात्मक विचारों का प्रेरणा स्त्रोत है जो अपने वाचक को अपनी खुशबु एवं रंगों से आल्हादित करती है। मेरा विश्वास है कि "प्रवर्तन संदेश" अपनी बहुरंगी रचनाओं को अपने भीतर समेटे होगी और हर रूचि के पाठक को संतुष्ट करने में सफल होगी।

मैं "प्रवर्तन संदेश" के सफल और अनवरत प्रकाशन एवम् इसके निरंतर सफर की कामना करता हूँ तथा पत्रिका के संपादक मंडल को बधाई देता हूँ ।

देवेन्द्र गुप्ता
(देवेन्द्र कुमार गुप्ता)

सहायक निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संपादक की कलम से......

वर्तमान संदर्भ में हिंदी एक ऐसी भाषा है, जो सम्पूर्ण भारत में बोली और समझी जाती है। भारत के एक बहुसांस्कृतिक देश होने के बावजूद भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में हिंदी का अमूल्य योगदान रहा है। इसे राजभाषा के रूप में अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हिंदी साहित्य का विश्व साहित्य में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है।

केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति है। इसके तहत ही केन्द्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार–प्रसार का कार्य जारी है। हमारे निदेशालय में भी सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने का सार्थक प्रयास किया जाता है।

''प्रवर्तन संदेश'' इस क्षेत्र में एक प्रकाशस्तंभ साबित हुई है। इस पत्रिका के दूसरे अंक का प्रकाशन किया जा रहा है, जो कि एक हर्ष का विषय है। हमारे विभाग के कार्मिकों की सृजनात्मकता और हिंदी के प्रति रूचि विकसित करने के लिए इस तरह की विभागीय पत्रिकाएं एक सशक्त मंच प्रदान करती हैं। मैं ''प्रवर्तन संदेश'' के प्रकाश में सहयोग करने वाले रचनाकारों, अधिकारियों एवं संपादक मंडल का आभार व्यक्त करता हूँ। हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(जगदीश प्रसाद मीना)

प्रवर्तन निदेशालय की उपलब्धियाँ वर्ष (2014–15)

क. संगठन और कार्यकलापः

संगठनात्मक संरचनाः

प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख प्रवर्तन निदेशक हैं। निदेशालय के अन्य अधिकारी विशेष निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप विधिक सलाहकार, उप निदेशक, सहायक विधिक सलाहकार, सहायक निदेशक, प्रवर्तन अधिकारी और सहायक प्रवर्तन अधिकारी अन्य लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की सहायता से कार्य करते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रवर्तन में निदेशालय की बढ़ी हुई भूमिका को देखते हुए, मार्च, 2011 में सरकार द्वारा निदेशालय की संख्या को पुनर्गठित किया था।

एक जॉच अभिकरण के लिए आवश्यक गुणवत्ता वाले अधिकारियों की भर्ती सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निदेशालय नए कार्यालयों को खोलने के साथ–साथ चरणबद्ध पद्धति से पदों को भरने की प्रक्रिया में है । निदेशालय का मुख्यालय कार्यालय नई दिल्ली में है और नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और चण्डीगढ़ में 05 क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा, 16 जोनल कार्यालय एवं 11 उप जोनल कार्यालय हैं।

निदेशालय के कार्मिकों की कुल संख्या अब 2064 हो गई एवं दिनांक 31.03.2015 तक 684 पदों को भरा गया है।

ख. कार्यकारी स्कंध का काम–काजः–

प्रवर्तन निदेशालय दो अधिनियमों अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) का कार्यान्वयन करता है। दिनांक 01.06.2000 से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) को फेमा से प्रतिस्थापित किया गया है। निदेशालय निरसित हुए फेरा, 1973 के बाकी बचे कार्य भी जारी रखे हुए है। निदेशालय कोफेपोसा, 1974 के प्रावधानों को भी कार्यान्वित करता है।

ग. वर्ष 2014–15 के दौरान फेमा, फेरा एवं पीएमएलए के प्रमुख सांख्यिकीय आंकडे

विषय	न्यायनिर्णीत मामले	लगाई गई शास्तियां रु (लाख में)	वसूली गई (रू० लाख में)
फेमा	818	6216	2101
फेरा	174	1878	377

पीएमएलए	आंकडे
ई सी आई आर की संख्या	178
जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या	166
कुर्की के अधीन संपत्तियों का मूल्य (रु० लाख में)	365712
पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या	138
न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए गए अनंतिम कुर्की ओदशों के अंतर्गत परिसंपत्तियों का मूल्य (रु० लाख में)	215077
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सख्या	19
मामलों की सख्या जिनमें अभियोजन शिकायत दायर की गई	69

ड. ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियॉ

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अपने–अपने एलएएन हैं, जो एनआईसीनेट डब्ल्यूएएन से जुड़ा है, प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय पत्र एक्सेल शीट और ग्राफ तैयार करने जैसी प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कार्यालय आटोमेशन टूल का इस्तेमाल करते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरंभ की गई कुछ ई–गवर्नेंस गतिविधियां निम्नानुसार हैं:–

i) **वेबसाइट**– निदेशालय की वेबसाइट में हिंदी और अंग्रेजी में सामग्री डाली गई है, जिसमें नागरिक इस कार्यालय से संबंधित सूचनाएं प्रवर्तित विभिन्न अधिनियमों और अन्य संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

ii) **एफटीएस**– प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय कार्यालय में फाइल संचलन की मॉनीटरिंग के लिए एक फाइल ट्रैकिंग प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

iii) **कॉम्प डीओ**– अपने कार्मिकों के वेतन प्रबंध के लिए एक पे रोल प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

iv) **ई–मेल**– कार्मिकों को एनआईसी ईमेल आईडी प्रदान की गई है।

v) **वीडियो कॉफ्रेंसिंग**– निदेशालय में एक वेब आधारित वीडियो कॉफ्रेंसिंग प्रणाली आरंभ की गई है।

vi) **मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)**– फेरा, फेमा और पीएमएलए से संबंधित मामलों की मासिक प्रगति रिपोर्ट के संबंध में सांख्यिकीय सूचना की प्रविष्टि तथा समेकन के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित किया गया है।

vii) **मासिक समेकित प्रपत्र (एमआईपी)**– पीएमएलए के लिए मासिक समेकित प्रपत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि तथा समेकन के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित किया गया है।

viii) **कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस)**– यह किसी कर्मचारी की विभिन्न रिपोर्टों के भंडारण, प्रक्रिया और सृजन हेतु एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। यह किसी कर्मचारी के मौजूदा पद, तैनाती स्थल, निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, जन्म और सेवानिवृत्ति की तारीख, भर्ती की पद्धति, अगली पदोन्नति की तारीख और पद, संस्वीकृत पद की सूचना, निदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत पद और खाली पड़े पदों की सूचना प्रदान की जाती है।

ix) **विधिक मामले मॉनीटरिंग प्रणाली (एलसीएमएस)**– यह उच्चतम न्यायालय, पीएमएलए अधिकरण, पीएमएलए न्याय निर्णयन प्राधिकरण और पीएमएलए विशेष न्यायालय में निदेशालय अथवा पार्टी द्वारा दायर विधिक मामलों की स्थिति को मॉनीटर करने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। यह याचिका संख्या, याचिकाकर्ता का नाम, प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका, संबंधित ज़ोन का नाम, ईसीआईआर संख्या, पीएओ संख्या आदि जैसी सूचना लेता है। यह पिछली सुनवाई की तारीख पर मामले की स्थिति/प्रगति का रिकार्ड रखता है।

x) **प्रवर्तन निदेशालय अपराधी निगरानी प्रणाली (ई–डोट)**– टी–3 फाइल की स्थिति से आरंभ होकर मामलों से संबंधित फेमा और पीएमएलए के लिए डाटाबेस लेने और तैयार करने की दृष्टि से फेमा और पीएमएलए मामले हेतु एक वेब आधारित एप्लीकेशन तैयार किया गया है। यह एएसपी में विकसित किया गया है। प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता के

अनुकूल अंतरापृष्ठ मुहैया करवाने के लिए नेट प्रौद्योगिकी तथा भंडारण तथा डाटा हेतु एक बैकएंड डाटाबेस के रूप में एसक्यूएल सर्वर फार्मों को प्रयोक्ता अनुकूल अंतरापृष्ठ से डिजाइन किया गया है।

xi) **सूचना पट्ट एप्लीकेशन–** विभिन्न परिपत्रों/डाउनलोड योग्य फॉर्मों/प्रशिक्षण संबंधी सूचना/फेमा/पीएमएलए के तहत महत्वपूर्ण निर्णयों आदि को अपलोड/प्रकाशन/देखने के लिए एक नया एप्लीकेशन 'नोटिस बोर्ड' विकसित किया गया है। अपलोड की गई सूचना को प्रमुख श्रेणी और उसके बाद उप श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। लॉगिन करने पर, यह सभी प्रमुख श्रेणियों की सूची प्रदर्शित करेगा और जो इस प्रमुख श्रेणी के लिए अपलोड की गई सूचना का ब्यौरा प्रदर्शित करने के लिए हाइपरलिंक्ड में बदल जाएगा । यह एप्लीकेशन एक भूमिका पर आधारित है और इसमें चार पूर्व निर्धारित रोल अर्थात् 'एडमिन', 'एंट्री', 'पब्लिस, 'व्यू' हैं। इसमें श्रेणी, परिपत्र वर्ष, परिपत्र संख्या और विषय जैसे विभिन्न पैरामीटर्स पर होने वाले प्रश्नों के लिए आगे और विकल्प है।

xii) **विचार विमर्श मंच–** निदेशालय में कार्य संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु कर्मचारियों को एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया गया है जहॉ वह आपस में विचारों को आदान–प्रदान कर सके तथा नये–नये सुझाव भी प्रस्तुत कर सकें।

ड. शिकायत सुधार तंत्र

लोक/स्टाफ शिकायतों के निवारण के लिए मुख्यालय कार्यालय तथा ज़ोनल/उप ज़ोनल कार्यालय में शिकायत अधिकारी नामित किए गए हैं तथा शिकायतों को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

च. जेंडर बजटिंग/महिला सशक्तिकरण:

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत निवारण हेतु यौन उत्पीड़न निवारण शिकायत समिति गठित है।

छ. निःशक्तता क्षेत्र और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए किए गए कार्यकलाप

निदेशालय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुवर्तन और अनुपालन सुनिश्चित करता है। वर्ष 2014–15 में सीधी भर्ती द्वारा 06 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों को नियुक्त किया गया।

ज. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

वर्ष 2014–15 के दौरान, निदेशालय में 154 सूचना के अधिकार संबंधी आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका निर्धारित अवधि के भीतर तत्परता से निपटान कर दिया गया था ।

झ. तिमाही क्षेत्रीय अधिकारी सम्मेलन

निदेशालय द्वारा 2014–15 के दौरान निदेशक महोदय की अध्यक्षता में चार तिमाही क्षेत्रीय अधिकारी सम्मेलनों का दिल्ली, शिमला, दिल्ली, एवं भुवनेश्वर में सफल आयोजन किया गया। इन तिमाही क्षेत्रीय अधिकारी सम्मेलनों में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और निदेशालय से संबधित कुछ अहम मुद्दों जैसे की क्षेत्रीय कार्यालयो के लिए लक्ष्य निर्धारण, स्थापित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्मुख कि गई समस्याओं का निवारण आदि पर निर्णय लिए गए।

निरंजन सुबुद्धि,
सहायक निदेशक,
(मुख्यालय)

हिन्दी भाषा का स्वरूप

1. प्रस्तावना–

हिन्दी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। भारत के अनेक प्रांतों में हिन्दी भाषा बोली जाती है। बताया जाता है कि भगवान शंकर के डमरू से निकले स्वरों और व्यंजनों से संस्कृत का निर्माण हुआ और संस्कृत के अनुवाद से हिन्दी का जन्म हुआ। वर्तमान में लोग हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी को महत्व ज्यादा देने लगे हैं, लेकिन फिर भी लोग अनेक शासकीय कार्य हिन्दी भाषा में करते हैं ।

भारतीय लोगों का चरित्र धीरे–धीरे पूर्णतः बदल रहा है। वे पाश्चात्य देशों की होड़ में अंग्रेजी बोलने लगे हैं, जिससे लोगों का ध्यान हिन्दी भाषा से हट गया है। आज के युग में अधिकतर लोग पूर्ण शुद्ध हिन्दी बोलने में सक्षम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को पांच मिनिट भी शुद्ध हिन्दी बोलने के लिए बोलें तो वह नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अंग्रेजी ने आज अपनी जगह बना ली है, इसलिए हिन्दी भाषा को बचाने के लिए हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है ताकि वह इस हिन्दी भाषा से जुड़े रहे और हमें याद रहें कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, जो हमें गौरवान्वित करती है ।

2. उद्देश्य–

राजभाषा कार्यशालाओं का उद्देश्य न तो साहित्यिक हिन्दी सिखाना है और न ही अनुवाद कला। हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को दिन–प्रतिदिन सरकारी कामकाज में प्रयुक्त 'कामकाजी' हिन्दी का अभ्यास करवाना ही इन कार्यशालाओं का प्रमुख उद्देश्य है ।

भाषा का स्वरूप– राजभाषा के रूप में हिन्दी इस्तेमाल करते समय अप्रचलित अथवा साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल न करके, सरल एवं सुबोध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों के लिए अटकिए नहीं। आवश्यकतानुसार हम अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लिपि देवनागरी ही होना चाहिए। यही आपकी आरंभिक राजभाषा है ।

3. हिन्दी प्रयोग करने में कर्मचारियों की समस्याएं

(क) भाषा की जानकारी का अभाव–

जो व्यक्ति हिन्दी भाषा ही नहीं जानता वह हिन्दी में काम क्या करेगा, इसलिए प्रबंधन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का समुचित ज्ञान प्राप्त करने का प्रबंध करें। राष्ट्रपति के आदेशानुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हिन्दी आनी चाहिए। गृहमंत्रालय ने हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी कक्षाएं भी लागू कर रखी है ताकि हर व्यक्ति हिन्दी के ज्ञान से दूर न रह सके। अतः हमें हिन्दी सीखनी चाहिए। हिन्दी हम निजी प्रयत्नों द्वारा सीख भी सकते हैं।

(ख) अंग्रेजी में काम करने की आदत–

प्रायः यह सुना जाता है कि अंग्रेजी में काम करना सरल है, जबकि कई लोग देशी भाषाओं के समर्थक हैं। इससे बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। इसमें अंग्रेजी समर्थकों की गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें उस भाषा की आदत हो गई है, परंतु अभ्यास तो किसी भी चीज को सरल बना देता है। कहा भी जाता है कि :–

''करत–करत अभ्यास के, जड़ मति होय सुजान।।

रसरी आव जात ते, सिल पर होत निसान।।''

अर्थात् अभ्यास या परिश्रम करने से हर चीज सरल हो जाती है। कुएं पर जो पत्थर की सिल होती है, उस पर भी पानी निकालने वाली रस्सी से निशान बन जाता है।

हिन्दी का वर्तमान युग में महत्व : भाषा हमारे सामाजिक व्यवहार का माध्यम है। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों एवं विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। आज चाहें अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, लेकिन भारत के लोग फिर भी हिन्दी भाषा को महत्व देते हैं। अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक कार्य हिन्दी के बिना अधूरे है। भारत में जन्मे अनेक महापुरूष हैं, जो चाहे विदेश में रहे हों, लेकिन हिन्दी भाषा के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। वे विदेश में भी अपने सगे–संबंधियों से हिन्दी में बात करना पसंद करते थे। अब लोगों का रूझान हिन्दी की ओर दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विदेशों में भी लोग हिन्दी को पसंद करने लगे हैं।

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देश

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, करार, प्रशासनिक तथा संसद के पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु सुझाव एवं आपत्तियां तथा प्रेस विज्ञप्ति आदि द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन होने पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

2. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्नपत्र अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार में भी हिन्दी माध्यम की उपलब्धता अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए।

3. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में राजभाषा हिन्दी में शोध पत्र संबद्ध मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि के विषय विशेष से संबंधित होने चाहिए।

4. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावाधि का, सामान्यतः हिन्दी माध्यम से होना चाहिए। 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षार्थी की मांग के अनुसार हिन्दी या अंग्रेजी उपलब्ध कराई जाए।

5. केन्द्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिन्दी टंकक व हिन्दी आशुलिपिक संबंधी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिये जाते, तब तक उनमें केवल हिन्दी टंकक व हिन्दी आशुलिपिक ही नियुक्त किए जाएं।

6. अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में

तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रमाणित अनुवाद तैयार कराके रिकार्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

7. नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिन्दी में किए जाएं– ग्राहकों द्वारा हिन्दी में भरे गए आवेदनों और ग्राहकों की सहमति से अंग्रेजी में भरे गए आवेदनों पर जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट, भुगतान–आदेश, सभी प्रकार की सूचियां–विवरणियां, सावधि जमा–रसीदें, चेक बुक संबंधी पत्र आदि, दैनिक बही मस्टर, लेजर प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नए खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्य सूची–कार्य वृत्त आदि हिन्दी में तैयार किए जाएं।

8. विदेश स्थित भारतीय कार्यालयों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों आदि की लेखन सामग्री, नाम पट्‌ट, फार्म, प्रक्रिया संबंधी साहित्य, रबड़ की मोहरें, निमंत्रण पत्र तथा टेलिफोन निर्देशिका आदि अनिवार्य रूप से हिन्दी–अंग्रेजी में बनवाए जाएं।

9. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी–मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है ताकि सरकारी कामकाज में वह इसका प्रयोग कर सकें। परंतु अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग नहीं करते। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/ कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरूप, सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों उपक्रमों आदि के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन को गति मिलेगी।

10. सभी मंत्रालय/विभाग, हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं चलाएँ, योजनाओं को अपने सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी सुचारू रूप से लागू करायें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/ कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में हो।

11. तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधी सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में ई–मेल द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह की 15 तारीख तक राजभाषा विभाग को उपलब्ध करा दी जाए। हस्ताक्षरित प्रति अलग से भेजी जाए।

12. सरकार की राजभाषा नीति के प्रति अधिकारियों/कर्मचारियों को सुग्राही बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन

समिति की बैठकों तक ही सीमित न रखा जाए। इस संबंध में मॉनीटरिंग को और अधिक प्रभावी और कारगर बनाने के लिए यह जरूरी है कि मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक बैठक में इस पर नियमित रूप से विस्तृत चर्चा की जाए और इसे कार्यवृत्त के एक स्थायी मद के रूप में शामिल किया जाए।

13. प्रशिक्षण और कार्याशालाओं सहित राजभाषा हिन्दी में कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें।

14. राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को नामित करें और नामित कर्मचारियों को निर्देश दें कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें, पूरी तत्परता से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा परीक्षाओं में न बैठने वाले मामलों को कड़ाई से निपटा जाए।

15. अनुवादकों को मानक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिन्दी व हिन्दी–अंग्रजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियां उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अनुवाद कार्य में इनका उपयोग करें।

16. सभी मंत्रालयों/विभाग कार्यालय आदि हिन्दी में प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभ के लिए लीला–हिन्दी प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ आदि सॉफ्टवेयर उपयोग के लिए कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करवाएं।

17. सभी मंत्रालय/विभाग कार्यालय आदि अपने–अपने प्रशासनिक दायित्वों से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने तथा अपने विषयों से संबंधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

18. सभी मंत्रालय/विभाग कार्यालय आदि अपने केंद्र सेवाओं की प्रशिक्षण संस्थाओं में राजभाषा हिन्दी में प्रशिक्षण की व्यवस्था उसी स्तर पर करें, जिस स्तर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में कराई जाती है और अपने विषयों से संबंधित साहित्य का सृजन करवाएं, जिससे प्रशिक्षण के बाद अधिकारी अपने कामकाज सुविधापूर्वक राजभाषा हिन्दी में कर सकें।

19. सभी मंत्रालय/विभाग सरकारी कामकाज में तथा गृह पत्रिकाओं आदि में अहिन्दी भाषी शब्दों के स्थान पर अन्य भाषा भाषी अथवा हिन्दीतर भाषी शब्दों का प्रयोग करें।

जगदीश प्रसाद मीना,
सहायक निदेशक,
(मुख्यालय)

प्रवर्तन दिवस 1 मई, 2015

इसी दिन 1 मई, 1956 को प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा, 1947) के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण के उल्लघंन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में 'प्रवर्तन इकाई' गठित की गई। वर्ष 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में नामकरण किया गया।

इस वर्ष प्रवर्तन दिवस समारोह में भारत के माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली मुख्य अतिथि थे। श्री मरे मिशेल, अध्यक्ष वित्तीय जांच इकाइयों के इग्मोंट ग्रुप और वित्तीय आसूचना केंद्र, दक्षिण अफ्रीका विशेष अतिथि थे । इसके अलावा माननीय न्यायाधीश अरीजीत पसायत, राजस्व सचिव , विशेष निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान तथा भूतपूर्व अधिकारीगण मौजूद थे ।

अपने स्वागत भाषण में निदेशक महोदय ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया तथा आभार प्रकट किया । निदेशक महोदय ने बताया कि श्रम शक्ति की भारी कमी के बावजूद निदेशालय ने फेमा तथा पीएमएलए संबंधी जांच प्रतिक्रियाओं तथा अन्य क्षेत्रों में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है । चाहे वो फेमा तथा पीएमएलए संबंधी जांच कार्य हों, न्यायालय में लंबित फेमा मामले हों, मुकदमें दायर करने की प्रक्रिया हो, धनशोधन से अर्जित परिसंपत्ति कुर्क करने के मामले हों, हमने हर क्षेत्र में अपने कार्य निष्पादन में बेहतर परिणाम दिए हैं । यह सब इस निदेशालय के सभी कर्मिकों के समर्पित प्रयास से ही संभव हो पाया है । इस तरह के समर्पित प्रयास, उत्कृष्ठ कार्य निष्पादन और सराहनीय सेवा के लिए निदेशालय के चार कर्मिकों– सर्व श्री उमेश वी. नाइक (सहायक निदेशक), ए. रवि कुमार रेड्डी (सहायक निदेशक), अमित वरन राय (अधीक्षक) और गोपीकांता बोरो (सिपाही) को पुरस्कृत किया गया । अहमदाबाद, कोचीन एवं कोलकाता/गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय को वर्ष 2014–15 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यालय घोषित किया । निदेशक महोदय ने इन सभी कर्मिकों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को बधाई दी । आशा है कि इस तरह के प्रोत्साहन से निदेशालय के सभी कर्मिक एवं कार्यालयों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए प्रेरणा मिलेगी ।

इस अवसर पर राजस्व सचिव ने कहा कि अनेकों चुनौतियों के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय ने निष्पक्ष एवं न्यायसंगत जांच करने की परंपरा जारी रखी तथा इतिहास बनाया है । उन्होंने प्रवर्तन निदेशक एवं अन्य अधिकारियों की पिछले वर्ष की उपलब्धियों की सराहना एवं हार्दिक अभिनंदन किया । बदलते समय में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका पहले से और ज्यादा चुनौतीपूर्ण तथा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निदेशालय इन सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेगा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि निदेशालय के प्रत्येक मामलों एवं विशेष श्रेणी के केसों से संबंधित संस्थागत स्मृति को सहेज कर रखने की जरूरत है ताकि भविष्य में जब भी जरूरत महसूस हो, उस समय संगठन में कार्य कर रहे अधिकारी पिछले मामलों को देख सकें कि उन मामलों का ब्यौरा क्या था । कई केस निदेशालय में अलग–अलग स्तरों एवं न्यायालयों में वर्षों चलते हैं, इसलिए भी इस तरह की संस्थागत स्मृति की आवश्यकता है ।

माननीय वित्त मंत्री ने सबसे पहले उन सभी कर्मिकों और निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को बधाई दी, जिन्हें सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित

किया गया । उन्होंने इस बात की सराहना की कि अब बहुत सारे जांच अभिकरणों ने वर्ष में एक बार अपने स्थापना दिवस मनाने की एक अच्छी परंपरा की शुरूआत की है। प्रवर्तन निदेशालय पिछले कई वर्षों से एक संगठन के रूप में विकसित हुआ है। इसने जब काम करना शुरू किया था तब हमारे पास विदेशी मुद्रा की बहुत कमी थी। उन्होंने कहा कि आर्थिक उदारवाद वैश्वीकरण आदि के कारण सभी देश एक दूसरे के काफी नजदीक हो गए हैं और विश्व का आकार छोटा हो गया है । आज जो वैश्विक प्रवृत्ति का आगाज हो रहा है, यह अधिकारियों के लिए बड़ा संदेश है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि निकट भविष्य में सभी लेन–देन में पारदर्शिता हो। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अभाव में प्रवर्तन निदेशालय ने अपने जांच कार्य में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया । इसी कारण हम विश्व स्तर पर ऐसा आपसी सहयोग चाहते हैं कि हर देश एक–दूसरे के नियमों के बाहर जाकर भी मदद करने को तत्पर हो। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि लोक हित में यह जरूरी है कि काले धन का कारोबार बंद हो ताकि लोग सुख से रह सकें । साथ ही उन्होंने प्रवर्तन अधिकारियों को अपने कार्य निष्पादन के समय अति उत्साह से बचने की भी सलाह दी । अंत में उन्होंने निदेशालय को कार्य निष्पादन और अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं ।

प्रवर्तन दिवस के अंत में निदेशक महोदय ने प्रवर्तन अधिकारियों के साथ ओपन हाउस विचार–विमर्श किया, जिसमें निदेशालय के सभी अधिकारियों ने भाग लिया। इस विचार–विमर्श के दौरान निदेशक महोदय का ध्यान विभिन्न कार्यालयों और अधिकारियों द्वारा महसूस की जा रही विभिन्न समस्याओं की तरफ आकर्षित किया गया। निदेशक महोदय ने सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया । ओपन हाउस विचार–विमर्श काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ और इसके कारण मुख्यालय, अन्य कार्यालयों एवं अधिकारियों के मध्य परस्पर विश्वास एवं सहयोग का वातावरण पैदा हुआ । आशा है कि इसका आने वाले समय में न केवल समस्या समाधान के लिए बल्कि निदेशालय की गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता सुधारने के लिए बेहतर इस्तेमाल होगा ।

प्रवर्तन दिवस के कारण निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में आपसी विश्वास, भाईचारा और नवीन जोश का संचार बना हुआ है । इसके सफल एवं सार्थक आयोजन के लिए निदेशक महोदय एवं समस्त संबंधित अधिकारी अभिनंदन एवं बधाई के पात्र हैं। निदेशालय अपनी स्थापना के 60 वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। भविष्य में इसके सामने अनेक चुनौतियां और विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का बोझ आएगा। इसका पूरा विश्वास है कि प्रवर्तन निदेशालय अपनी सभी जिम्मेदारियों को निष्पक्ष एवं न्याय–संगत रूप से निभायेगा और सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा ।

मोहन सिंह,
सहायक निदेशक,
(मुख्यालय)

वित्त अधिनियम 2015 के अंतर्गत किये गये धन शोधन निवारण अधिनियम (2002) तथा फेमा (1999) के अंतर्गत किये गये संशोधन

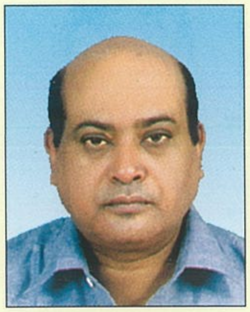

धन शोधन निवारण अधिनियम (2002) यद्यपि 01.07.2005 से क्रियान्वित किया गया परंतु समय–समय पर इस अधिनियम में कई परिवर्तन किये गये। फेमा (1999) में वित्त अधिनियम 2015 के अंतर्गत आमूल–चूल संशोधन किये गये हैं तथा मुख्यतः सिविल प्रकृति का था, इसमें संशोधन के उपरांत आपराधिक प्रकृति का बोध होने लगा है।

वर्तमान में वित्त अधिनियम 2015 के अंतर्गत किये गये प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैः–

(क) धारा 2(1) (यू) धनशोधन अधिनियम में अपराध के वरीय की परिभाषा में ऐसी संपत्ति जो भारत के बाहर भेज दी गई है, उसके बराबर की संपत्ति जो अभियुक्त के पास भारत में मौजूद है, को जब्त किया जा सकेगा। यह प्रावधान अभी तक क्रियाशील नहीं हुआ है। परंतु इसके क्रियाशील हो जाने के उपरांत धनशोधन अधिनियम की परिधि और भी व्यापक हो जाएगी।

(ख) उपरोक्त वित्त अधिनयम 2015 के अनुसार धनशोधन अधिनयम (2002) की धारा 2 (1) (वाई) में भी संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा पार्ट (बी) के अपराधों की सूची में जो 30 लाख रूपये की सीमा थी, उसे अब बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये कर दिया गया है तथा पार्ट (बी) जिसमें 2012 के संशोधन के उपरांत कोई भी अपराध नहीं था, अब धारा 132 कस्टम एक्ट इसमें सम्मिलित कर दिया गया है।

(ग) वित्त अधिनियम 2015 के अनुसार धनशोधन अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 8 के द्वारा विस्तार किया गया है। यह उपधारा विधायिका में इस बात को ध्यान में रखकर बनाई है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी संपत्ति जब्त होने के बाद कुर्क कर ली गई है, यदि ऐसे व्यक्ति का धनशोधन की धारा 3 व 4 के अंतर्गत किसी प्रकार का हाथ नहीं है तथा पूर्णतः निर्दोष है, ऐसे व्यक्ति संपत्ति की कुर्की के दौरान विशेष न्यायालय जो धारा 45 की उपधारा(1) के अंतर्गत गठित की गई है, समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं तथा विशेष न्यायालय यथोचित आदेश पारित कर सकता है ।

(घ) वित्त अधिनियम 2015 के संशोधन के उपरांत फेमा(1999) के अंतर्गत धारा 13(1) (ए) से 13 (1) (डी) को इस कानून में जो दिया गया है तथा ऐसे व्यक्ति जो अपनी संपत्ति तथा अपने खाते विदेश में रखते हैं उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाही का प्रावधान बनाया गया है, जिसके अनुसार ऐसे व्यक्ति जिसने अपना धन, संपत्ति अथवा खाता विदेश में रखा हुआ है। उस व्यक्ति की उसके बराबर की संपत्ति जो भारत में है, उसे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा जब्त करने का प्रावधान है। इस विधायिका ने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया है कि यह कार्यवाही न्यायोचित ढ़ंग से की जाए तथा पूर्ण पारदर्शिता रहे तथा ऐसे व्यक्ति को समुचित स्तर पर अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले ।

धनशोधन निवारण अधिनियम (2002), इस संशोधन के आने के उपरांत और भी प्रभावशाली हो जाएगा तथा अपराधियों को इस बात का संकेत होगा कि वे धनशोधन के मामलों से दूर रहें। फेमा के संशोधन लाने के पीछे सरकार का प्रमुख उद्देश्य काला धन जो भारत की सीमा के बाहर स्थित है, उस पर नकेल लगायी जा सके और ऐसे धन को वापस भारत लाया जा सके। ऐसा विश्वास है कि धनशोधन निवारण अधिनियम (2002) तथा फेमा (1999) के अंतर्गत उक्त संशोधन आगामी समय में मील का पत्थर अवश्य साबित होगें।

आशीष चंद्र सिंह,
उप विधिक सलाहकार,
(मुख्यालय)

राजभाषा हिन्दी और हम

हमारे दैनिक जीवन में भाषा की विशेष महत्ता है। हम अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे ही व्यापक अर्थ में भाषा कहा जाता है। भाषा का लिखित रूप प्रदान करने वाले माध्यम को हम लिपि कहते हैं। लिपियां दो प्रकार की होती हैं। चित्रात्मक लिपि और ध्वन्यात्मक लिपि। भारत में आदिकाल से दो प्रकार की ध्वन्यात्मक लिपियां मिलती हैं, जिन्हें खरोष्ठी और ब्राह्मी नाम से जाना जाता है। जिस लिपि में हिन्दी लिखी जाती है, उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। यह लिपि ब्राह्मी लिपि की ही वंशजा है। यह लिपि सब लिपियों से सरल है और भाषा विज्ञान की सभी कसौटियों पर खरी उतरती है। इस लिपि में विश्वभर की भाषाओं को व्यक्त करने की क्षमता है। इसी विशेषता के फलस्वरूप हिन्दी आज विश्व मंच पर छा चुकी है।

लगभग दो शताब्दियों की परतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त 1947 ई. को जब भारत को स्वतंत्रता मिली, दासता का अंधकार तिरोहित हुआ, स्वावलम्बन और स्वाभिमान के सूर्य का उदय हुआ तो देश ने नई उमंगों के साथ अपनी समस्याओं के निरसन की दृढ़ संकल्पना की। देश के शासन की बागडोर जननायक पं. जवाहरलाल नेहरू के सशक्त हाथों में आई। कई वर्षों के अनवरत परिश्रम के उपरांत भारत के संविधान निर्माताओं ने देश को अपना नूतन संविधान प्रदान किया, जो राष्ट्र की सर्वांगीण समृद्धि की कल्पना का साकार रूप है। इस संविधान को भारत की जनता ने, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अधिनियमित और अंगीकृत किया है। इसमें यदि एक ओर नागरिकों के मौलिक अधिकारों, उनके उत्थानप्रद मार्गदर्शी सिद्धांतों, केंद्र और राज्यों के संबंधों, न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था के नियंत्रण आदि से संबंधित व्यवस्थाओं का समुचित समावेश है तो दूसरी ओर प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए, संघ की राजभाषा के रूप में, देवनागरी में लिखित हिन्दी के प्रयोग की समुचित व्यवस्था भी की गई है।

हिन्दी राजभाषा होने का महत्व मात्र इसलिए नहीं दिया गया कि यह सारी भारतीय भाषाओं में ऊंची है, बल्कि इसे राजभाषा के रूप में इसलिए अनुमोदित किया गया कि हिन्दी को जानने, समझने और बोलने वाले देश के कोने–कोने में विद्यमान हैं। ये लोग भले ही व्याकरण की भूलें करते हों, अशुद्ध उच्चारण करते हों, परंतु बोलते हिन्दी ही हैं और उसी में अपने भाव व्यक्त करते हैं तथा दूसरों की बात भी समझ लेते हैं। यह केवल एक धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष के मुट्ठी भर लोगों की भाषा नहीं है, प्रत्युत यह देश के कोटि–कोटि कंठों की पुकार और उनके हृदय का सुरभित हार है। मेरी ऐसी मान्यता है कि सरकारी काम–काज में हिन्दी पत्राचार में अभिवृद्धि करने के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। हिन्दी में काम–काज करने वाले कर्मचारी और अधिकारी कार्यालयीन भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग करके उसे बोझिल न बनाएं। यदि हम सच्चे अर्थों में हिन्दी का प्रचार–प्रसार करके भारत सरकार के संकल्प को पूरा करना चाहते हैं, तो हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि सरल से सरल भाषा का प्रयोग करें। इसे सरल भाषा में व्यक्त करने का सबसे सहज तरीका है कि संबंधित कर्मचारी उसे सरल हिन्दी में सोच कर तैयार करें। उसके बारे में पहले अंग्रेजी में सोचना और फिर उसे हिन्दी में तैयार करना दोगुनी ऊर्जा और समय का अपव्यय करना होगा, जो आज की यांत्रिक व्यस्तता के युग में अव्यवहारिक ही नहीं अपितु राजभाषा हिन्दी की व्यवहार्यता के प्रतिकूल भी है।

सार्वजनिक उपक्रमों में दैनिक व्यवहार के बहुत से पत्र ऐसे होते हैं, जिनको यदि एक बार हिन्दी में मानक रूप में तैयार करके मुद्रित करा लिया जाए और उनका प्रयोग शुरू कर दिया जाये तो हिन्दी में किये गए पत्राचार का प्रतिशत कई

गुना बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए जिन उपक्रमों से किसी भी प्रकार भुगतान होता है, वहां चेक के साथ भेजने वाले अग्रेषण पत्र को मानक रूप में हिन्दी में मुद्रित कराकर हिन्दी पत्राचार की प्रतिशतता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। उपक्रमों में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा अन्य विभागों में सेवा के लिए भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों के अग्रेषण पत्रों को भी हिन्दी में मानक रूप में तैयार कराकर मुद्रित करा लिया जाए तो हिन्दी पत्राचार के आंकड़े पर्याप्त बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार जिन उपक्रमों का आम जनता से प्रायः समान प्रवृत्ति का पत्राचार होता रहता है, उन पत्रों को भी यदि हिन्दी में मानक रूप में तैयार कराके मुद्रित करा लिया जाए तो हिन्दी पत्राचार के आंकड़े काफी संख्या में बढ़ सकते हैं।

हमें अपने राष्ट्र की भाषा के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए। फ्रांस में अंग्रेजी बोलने अथवा लिखने पर छः महीने का कारावास या 50,000 फ्रेंक का जुर्माना है। इतना ही नहीं चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और रूस ने यह सिद्ध कर दिया है कि तकनीकी विकास के लिए अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है। इन सभी देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी भाषा में विकसित किया है, और एक हम हैं कि यही बहाना बना लेते हैं कि हमारा उपक्रम या विभाग तकनीकी किस्म का है इसलिए हिन्दी में काम नहीं हो सकता है। जबकि हिन्दी तो अगाध समुद्र के समान उदार है जिसके विशाल हृदय में किसी भी भाषा का शब्द आया वह उसका अपना हो गया। हिन्दी में ऐसे अनेक विदेशी शब्द हैं, जो आज हिन्दी के आंचल में हंस–खेल रहे हैं। रेल अंग्रेजी का शब्द हे, सिगलन अंग्रेजी का शब्द है। ट्रेन लेट है, इसमें दो शब्द अंग्रेजी के हैं, मात्र एक शब्द 'है' ने ही पूरा वाक्य हिन्दी का बना दिया। इसी के अनुसरण में मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि कोई तकनीकी अथवा गैर तकनीकी ऐसा शब्द है, जिसका आपको हिन्दी पर्याय नहीं आता तो उसे देवनागरी में जैसे का तैसा लिखने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता है।

हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रमों का जाल बिछा हुआ है। अधिकांश उपक्रम आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । कार्यवृत्ति के आधार पर उपक्रमों का और जनता का संबंध और उपभोक्ता का होता है । इन दोनों के बीच आदान प्रदान का अटूट रिश्ता व्यापार–प्रक्रिया का ही एक स्वरूप है । आप यह भली प्रकार से जानते हैं कि व्यापार की अपनी निजी कोई भाषा नहीं होती । व्यापार की भाषा वह होती है जो उपभोक्ता जनमानस की भाषा होती है । अतः उपक्रमों में हिन्दी में कार्य व्यापार चलाया जाना उनकी व्यापारिक अनिवार्यता है । परिवहन के क्षेत्र में आने वाले दिल्ली परिवहन निगम, भारतीय पर्यटन विकास निगम आदि सभी उपक्रम जनता के उपयोग के लिए बने हैं । इनका जनता से अत्यंत निकट संपर्क है, वाहनों में विभिन्न प्रकार के लिखित निर्देश, उनके कार्य व्यवहार, तत्संबंधी कागजात से हिन्दी को फूलने–फलने का पर्याप्त अवसर मिलता है।

जीवन बीमा से संबंधित अनेक उपक्रम हैं, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कार्पोरेशन(लि.), ऑरियंटल बीमा कंपनी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,(ई.एस. आई. कार्पोरेशन) आदि उपक्रमों का जनता से एकदम सीधा संबंध है । बीमा पॉलिसी हिन्दी और अंग्रेजी में जारी की जा रही है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अधिकांश कार्य हिन्दी में ही हो रहा है। सभी हिदायतें हिन्दी में भी उपलब्ध होती हैं। अतः हमारे किसान भी इन संस्थाओं के साथ आसानी से हिन्दी में पत्राचार कर लेते हैं ।

इस क्षेत्र में भारतीय बैंक भी पीछे नहीं है। बैंक आफ इंडिया, पंजाब एंड सिन्ध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, विजया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिण्डीकेट बैंक, आंध्र बैंक, आप किसी भी बैंक में चले जाएं, पैसे जमा कराने के लिए अथवा निकालने के लिए आप निःसंकोच हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं होगी। बैंकों में ऋण–आवेदन पत्र भी हिन्दी.अँग्रेज़ी दोनों

भाषाओं में मिल जाते हैं। पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के मुख्यालय से तो एक पत्रिका का भी प्रकाशन होता है, जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी और गुरूमुखी तीनों भाषाओं में सामग्री प्रकाशित होती है। अब हम विकास संबंधी उपक्रमों की ओर आते हैं राष्ट्रीय बीज निगम, लघु किसान विकास निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, कृभको आदि निगमों में भी हिन्दी किसी भी रूप में विकलांग नही है । अब एक नजर ट्रस्टों पर भी डाल लें । चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, अपनी साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करके पूरे विश्व में हिन्दी की जो पावन भागीरथी प्रवाहित कर रहे हैं, उनका प्रयास सराहनीय है। ये दोनों ट्रस्ट भारत की संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार–प्रसार करके अपना उच्चतम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। राजभाषा हिन्दी की व्यवहार्यता की संवृद्धि में शैक्षणिक संगठनों की भूमिका निस्संदेह महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान आदि संस्थानों द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में जो राजभाषा हिन्दी का व्यवहार्य स्वरूप छात्रों को पाठ्य–पुस्तकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है उसे ही छात्र अपने में आत्मसात् करके अपने ज्ञान का अथाह भंडार भरते हैं। साथ ही इन संगठनों के पास अनुभवी शिक्षाविदों और अध्यापकों की बहुलता होती है अतः राजभाषा हिन्दी की व्यवहार्यता को साकार करने में इनका भी भरपूर सहयोग लिया जा सकता है।

ध्यातव्य है कि सभी सार्वजनिक उपक्रम आर्थिक सम्पन्नता में कामधेनु के समान हैं, जो हमारे राष्ट्र के लिए सुदृढ़ मेरूदण्ड का काम करते हैं और भाषायी क्षेत्र में ऐसे कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें राजभाषा प्रयोग के लिए किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ता है । जन सामान्य से जुड़े रहने के कारण यदि एक ओर से आम जनता से कार्य व्यवहार द्वारा अर्थ प्राप्ति करके देश को सशक्त बनाते हैं तो दूसरी ओर जनता से ही अर्थ के साथ–साथ शब्द–संपदा प्राप्त करके ये राजभाषा शब्द कोश की वृद्धि में भी अपना अनुपम योगदान करते हैं । यहॉ मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि सार्वजनिक उपक्रम अर्थ–व्यवस्था जैसे किसी भी मामले में स्वतंत्र हो सकते हैं लेकिन राजभाषा नीति के उल्लंघन के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है।

आपके मानस में इस समय अनेक ऐसी समस्याएं घुमड़ रही होंगी जिनसे आप हिन्दी में काम करने में हिचक महसूस करते है। आपकी यह हिचक निर्मूल है । यह आप की हिचक नहीं बल्कि आपके मानस में बैठा अविश्वास का भूत है। विश्वास जगाकर अभ्यास करने से हर रास्ता आसान बन जाता है । हमें अपने मानस में हिन्दी में काम करने की चाह की किरण को अवलोकित करना होगा, हिचक का अंधकार स्वयं भाग जाएगा। अब तक हम अंग्रेजी की बैसाखियों पर बहुत चल लिए, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हिन्दी के हिन्डोले में एक बार बैठकर देखें । आपको असीम आनंद की अनुभूति होगी। इस आनंद की अनुभूति का वर्णन करते हुए सुकति पं. हरिशंकर शर्मा ने सत्य ही कहा है–

बिहारों बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे,
सूर की कुटी में अड़ आसन जमाइए।
केशव की कुंज में किलोल केलि कीजिए या,
तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए।
देव की दरी में दुर दिव्यता निहारिये या,
भूषण की सेना के सिपाही बन जाइये।
अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख,हिन्दी के
हिन्डोले में जरा तो बैठ जाइए ।

आइये हम सभी संकल्प लें राजभाषा हिन्दी की निःस्वार्थ सेवा करने का, इसके स्यंदन को निरंतर प्रेम के पंथ पर बढ़ाते रहने का, इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन जैसे अभिप्रेक तत्वों की सक्रियता को बढ़ाने का, इसे सहज और सुबोध भाषा बनाकर इसकी व्यवहार्यता को जन–मानस तक पहुंचाने का । जय हिन्दी। जय भारत ।

बाल किशन,
वरिष्ठ अनुवादक,
हिन्दी अनुभाग (मुख्यालय)

फेमा और भारतीय रिजर्व

फेमा और भारतीय रिज़र्व:– बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, Fema), विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करने और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक समय–समय पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करता है, जो कि ए.पी.डी.आई.आर (APDIR) Series के रूप में होते हैं। पिछले छः महीनों में जारी किए कुछ परिपत्रों का सार नीचे दिया गया है।

1. निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme-LRS) 1 जून 2015 को जारी किए गए ए.पी.डी.आई.आर (APDIR Series) परिपत्र सं. 106 द्वारा निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना, जिसके अंतर्गत चालू (Current account) अथवा पूंजी खातेगत (Capital account) लेनदेन अथवा दोनों के लिए संयुक्त रूप में प्रति वित्तीय वर्ष रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गयी सीमा तक के विप्रेषणों की अनुमति दी गयी है, के अंतर्गत मौजूदा दिशा निर्देशों को और उदार तथा युक्ति युक्त बनाया गया हैं।

(ए) उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत सीमा तथा सुविधाएं

प्राधिकृत व्यापारी बैंक अनुमत चालू अथवा पूंजी खाते अथवा दोनों के समिश्र लेनदेनों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष के दौरान अब किसी निवासी व्यक्ति (individual) को 2,50,000 अमरीकी डॉलर तक के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति (individual) ने उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान पहले ही कोई विप्रेषण किया होगा, तो मौजूदा 2,50,000 अमरीकी डॉलर की सीमा में से ऐसी पहले विप्रेषित राशि घटाकर जो राशि शेष रहेगी वही ऐसे व्यक्ति (individual) के लिए लागू सीमा होगी। उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत किसी व्यक्ति (individual) के लिए अनुमत पूंजी खातेगत लेन देन इस प्रकार हैः

i) विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलना

ii) विदेश में संपत्ति खरीदना;

iii) विदेश में निवेश करना';

iv) विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना;

v) कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित संबंधियों, जो अनिवासी भारतीय हैं, को भारतीय रुपए में ऋण देना।

इसके अलावा समय समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खातेगत लेन देन) नियमावली 2000 की अनुसूची III के पैरा 1 में निवासी व्यक्तियों (individuals) को उपलब्ध चालू खाते गत लेन देन के लिए मिलने वाली विदेशी मुद्रा संबंधी सभी सुविधाओं को (निजी/व्यावसायिक दौरों सहित) 2,50,000 अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा में समाहित किया गया है।

हालांकि, अनुसूची III के पैरा 1 में क्रमांक (iv) उत्प्रवास, (vii) विदेश में चिकित्सा संबंध में व्यय और (viii) विदेश में शिक्षा के लिए इस योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र सीमा के अलावा भी विदेशी मुद्रा की सुविधा ले सकते हैं यदि क्रमशः उत्प्रवास, चिकित्सा प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थान अथवा विश्वविद्यालय ने ऐसी अपेक्षा की हो।

निवासी व्यक्तियों (individuals) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित अनिवासी भारतीय रिश्तेदारों को भारतीय रूपए में दिए जाने वाले उपहार की राशि भी इस उदारीकृत विप्रेषण योजना में समाहित की जाएगी।

अव तक की भॉति, प्रतिबंधित अथवा

गैरकानूनी गतिविधियों तथा मार्जिनट्रेडिंग, लाटरी, आदि के लिए विप्रेषण करने हेतु इस योजना का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(बी) व्यक्तियों से भिन्न (other than individuals) के लिए सुविधाएं:–

विदेशी मुद्राप्रबंध (चालू खातेगत लेनदेन), 2000 की अनुसूची III के किया पैरा 2 में किए गए उपबंधानुसार, व्यक्तियों (individuals) से भिन्नव्यक्ति (persons other than individuals) विनिर्दिष्ट सीमाओं एवं शर्तों के तहत निम्नवत विप्रेषण कर सकते हैं:

I शैक्षिक संस्थाओं को दान :

II भारत में आवासीय फलैटों/कमर्शियल भूखंडों (प्लाटों) की बिक्री हेतु विदेश में एजेंटों को कमीशन;

III परामर्शी सेवाओं के लिए विप्रेषण और

IV निगमन पूर्व व्यय की प्रति पूर्ति हेतु विप्रेषण।

2. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment in India-FDI)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. 20/2000 आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment in India-FDI) के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कि समय–समय पर संशोधित होते हैं।

ए) उक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 के अनुसार कतिपय शर्तों के तहत बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति थी। दिनांक 8 अप्रैल 2015 के ए.पी.डी.आई.आर (DIR Series) परिपत्र सं. 94 में यह सूचित किया गया है कि 2 मार्च 2015 के प्रेसनोट 3 (2015 सीरीज) में विनिर्दिष्ट संशोधित शर्तों के तहत बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की अनुमति तत्काल प्रभाव से प्रदान की गई है तथा एक नयी अभिव्यक्ति अर्थात ''बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त अन्य बीमा मध्यस्थ'' को भी बीमा की परिभाषा में शामिल किया गया है।

इसके अलावा मौजूदा प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल किए गए हैं:–

ए) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश उसकी प्रदत्त इक्विटी पूंजी (paid capital) में 49% तक सीमित होगा;

(बी) 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग के तहत होगा और 26% से अधिक तथा 49% तक सरकारी मार्ग के अंतर्गत होगा;

(सी) इस क्षेत्र में विदेशी निवेश बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अनुपालन की शर्तों के तहत होगा तथा यह भी शर्त है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लानेवाली कंपनियां भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से बीमा गतिविधियों हेतु आवश्यक लाइसेन्स प्राप्त करेंगी;

(डी) भारतीय बीमा कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वामित्व तथा नियंत्रण निवासी भारतीय संस्थाओं के हाथ में हर समय बना रहे;

(इ) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पोर्टफोलिओ निवेश (FPI), विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) नियमावली, 2000 (FEMA Notification 20) के उपबंधों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश नियमावली) के उपबंधों द्वारा विनियमित होगा।

(एफ) किसी भारतीय बीमा कंपनी में प्रत्यभ विदेशी निवेश में वृद्धि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।

(बी) 17 अप्रैल 2015 का ए.पी (डीआईर सीरीज) परिपत्र सं. 95:–

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–ए

बैंको को 12 फरवरी 2015 के ए.पी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.77 द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अग्रिम विप्रेषण फार्म (ARF) एवं एफसीजीपीआर फार्म (FCGPR) की रिपोर्टिंग को भारत सरकार के e-Biz प्लेटफार्म पर सक्रिय करने के बारे में सूचित किया था। अब इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पोर्टल पर एक्सैस हेतु NIC से प्राप्त वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) खाते का प्रयोग करने से संबंधित वित्तीय पहलुओं का ब्यौरा, जो कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) व NIC के परामर्श से निर्धारित किया गया है, दिया है।

e-BIZ पोर्टल पर प्रत्यक्ष निवेश संबंधी रिपोर्टिंग होने पर, कंपनियों, बैंको, भारतीय रिजर्व बैंक तथा DIPP को प्रत्यक्ष निवेश संवंधी मामलों का DATA बनाए रखने में सहुलियत होगी।

सी) 11 जून 2015 का ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.107:

3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 1/2000–आरबी के विनियम 4 (बी) (i) के अनुसार भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति भारत में ऐसी किसी कंपनी अथवा पार्टनरशिप फर्म अथवा मालिकान प्रतिष्ठान अथवा एंटिटी, चाहे वह निगमित हो अथवा अनिगमित, में किसी भी रूप में निवेश नहीं कर सकता है जो "चिट फंड" के कारोबार में संलग्न हो अथवा जिसका संलग्न होना प्रस्तावित हो।

इस परिपत्र द्वारा अनिवासी भारतीयों को निम्नलिखित शर्तों के तहत, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर, बिना किसी सीमा के, चिट फंड में निवेश करने की अनुमति दी गयी है:

i. चिट रजिस्ट्रार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा चिट फंड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार के परामर्श से, किसी चिट को किसी अनिवासी भारतीय से, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर, अभिदान प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है।

ii. चिट फंड में अभिदान, भारत में किसी बैंक में रखे खाते सहित, बैंकिंग चैनल के जरिए आना चाहिए

3. बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowing-ECB)

ए) 21 May 2015 का ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.103:–

3 सितंबर 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25 के अनुसार, मान्यता प्राप्त अनिवासी बाह्य वणिज्यिक उधारदाता को भारतीय रूपये में ऋण देने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते उधारदाता ने, अन्य बातों के साथ–साथ, भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–1 बैंक के साथ स्वैप (Swap) के जरिए भारतीय रूपए संग्रहित किए हों।

समुद्रपारीय उधारादाता को भारतीय रूपये में मूल्यवर्गीकृत बाह्य वाणिजयिक उधार देने में सुविधा हेतु अब यह निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे उधारदाता अपने समुद्रपारीय बैंक के साथ स्वैप संबंधी करार कर सकते हैं, जो इस अनुक्रम में भारत के किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–1 बैंक के साथ बैक–टू–बैक स्वैप संबंधी लेनदेन का करार निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत हो:

i मान्यताप्राप्त अनिवासी उधारदाता भारतीय रूपये में मूल्यवर्गीकृत अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार के साक्ष्य के रूप में उचित दस्तावेज के साथ समुद्रपारीय बैंक से इस अनुरोध के साथ संपर्क करता है कि भारतीय उधारकर्ता को आगे उधार देने के लिए वह स्वैप दर पर भारतीय रूपये का संग्रह करना चाहता है।

ii इस क्रम में ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ समुद्रपारीय बैंक स्वैप दर के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–1 बैंक से संपर्क करता है, जिससे भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से स्वयं को संतुष्ट कर सकता है कि उसमें बाह्य वाणिज्यिक उधार भारतीय रूपयों में अंतर्निहित है (स्कैन की हुई प्रतियाँ स्वीकार्य होंगी)।

iii भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा एकमुश्त आधार पर अंतिम ग्राहक के संबंध में समुद्रपारीय बैंक से एक केवाईसी प्रमाणन दस्तावेज भी प्राप्त किया जाएगा।

iv समुद्रपारीय बैंक से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर, भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक

भारतीय रूपयों में अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर ले और समुद्रपारीय बैंक को सांकेतिक (indicative) स्वैप दर का प्रस्ताव करे जो तदनुक्रम में अनिवासी उधारदाता को बैक–टू–बैक आधार पर उसका प्रस्ताव करेगा।

v अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की सतत मौजूदगी की शर्त के अधीन स्वैप जारी/बना रहेगा।

vi सौदे की तारीख को निपटान भारत में तदनुरूपी बैंक के पास रखे समुद्रपारीय बैंक के वोस्ट्रो खाते के मार्फत किए जा सकते हैं।

vii भारतीय रूपये में मूल्यवर्गीकृत बाह्य वाणिज्यिक उधार की हेजिंग को विनियमित करने वाले 29 दिसंबर 2011 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 63 के संलग्नक में निहित सभी परिचालनीय दिशानिर्देश, शर्तें आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगी।

viii संबन्धित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–1 बैंक सभी संबन्धित दस्तावेजों को रेकॉर्ड में रखेगा ताकि रिजर्व बैंक उनका सत्यापन कर सके।

बी) 11 जून 2015 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 108 के अनुसार 17 दिसंबर 2012 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 61 और 24 जून 2013 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.113 के द्वारा कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने संबंधी योजना (ईसीबी), अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत जारी की गई थीं, उसे वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए भी जारी रखा गया है।

इस योजना के अंतर्गत कम लागत वाले सस्ते आवास की परियोजना होने की पात्रता निश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी का कार्य राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा, और संतुष्ट होने पर आवेदन पत्र अनुमोदन मार्ग के तहत विचार करने के लिए रिजर्व बैंक को अग्रेसारित करेगा।

डेवलपर/बिल्डर कम लागत वाली सस्ती आवास परियोजनाओं हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा ले सकते हैं। कम लागत वाली सस्ती आवास यूनिटों के भावी (संभावित) स्वामियों को वित्तपोषित करने के लिये आवास वित्त कंपनियां/राष्ट्रीय आवास बैंक भी बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं। बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के प्रयोजनार्थ कम लागत वाली किसी सस्ती आवास परियोजना वह परियोजना होगी जिसमें अनुमत एफएसआई का कम से कम 60 प्रतिशत उन यूनिटों के लिए हो जिनकी कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर तक (से अधिक न) हो।

स्लम बस्ती पुनर्वास परियोजनाएं भी कम लागत वाली सस्ती आवास योजनाओं के अंतर्गत इसके लिए पात्र होंगी। वाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए स्लम बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं की पात्रता सचिव, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन (HUPA) की अध्यक्षता में सहभागित योजना के तहत सस्ते आवास (AHP) मुहैया कराने के संबंध में गठित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति, जो स्लम बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं को लागू करती है, द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए मानदण्डों पर आधारित होगी।

सी) 11 जून 2015 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 109:

24 अप्रैल 2012 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 113, के अनुसार विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत एयरलाइन कंपनियों को कार्यशील पूंजी के लिए अनुमत अंतिम उपयोग के रूप में अनुमोदन मार्ग से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेने की अनुमति दी गई थी, जो परिपत्र के जारी होने की तारीख से 12 माह के भीतर लिए जाना था। समय समय पर इस अवधि को बढ़ाया गया और अब फिर से सिविल एविएशन क्षेत्र के लिए कार्यशीलपूंजी हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेने संबंधी यह योजना 31 मार्च 2016 तक जारी रखने की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक ने की है।

नीता बेहरामफ्राम,
उप निदेशक,
(मुख्यालय)

अंतर्राष्ट्रीय धनशोधन निवारण सहयोगः एक सिंहावलोकन

एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैंक के नियंत्रकों द्वारा कुछ देशों में बैंक बंद किए जाने के संबंध में 1991 में धनशोधन की बड़ी जॉचों में से एक बड़ी जॉच की गई थी । इस बैंक को अमेरिका के कोलंबिया राज्य में धनशोधन, धोखाधड़ी और कर चोरी सहित ठगी का धंधा करने की साजिश करने का दोषी पाया गया था। ये न्यूयार्क में एक साथ धोखाधड़ी, कर चोरी और धनशोधन का धंधा करने का प्रयास करते थे। ये विदेशों में बैंकों, शैल निगमों के स्वामित्व वाली कंपनियों के बैंकों का अधिग्रहण करने आदि कई धंधों में शामिल थे।

एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंक को प्राधिकारियों से कई बिलियन पाउंड का ईरानी कारोबार छिपाने का दोषी पाया गया था और वर्ष 2012 में उसने 340 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरा था । उसने धनशोधन निवारण प्रक्रिया विधि (एएमएल प्रोसिजर) में चूक करने पर 300 मिलियन डॉलर का और जुर्माना भरा था । बैंक को हांगकांग एवं यूएई सहित इसके सहायकों के जरिए ईरानी धनशोधकों को लगभग 250 बिलियन डॉलर का धनशोधन करने में सहायता करने का दोषी पाया गया था । उपरोक्त सभी गतिविधियां वित्तीय संस्थानों को कमजोर कर सकती हैं परंतु अभी उनकी मंजिल बहुत दूर है क्योंकि दिन प्रतिदिन धनशोधन के उपाय बहुत मजबूत और आधुनिक हो गए हैं । संचार और व्यापार के बेहतर होने, वित्तीय सेवा कारोबार के बीच सीमा के अधिकार–क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धा होने से धनशोधकों को उनके आकर्षक घरेलू कानूनों का इस्तेमाल करते हुए उनके वित्तीय तंत्र का उपयोग करने में मदद मिल जाती है।

किसी दूसरे देश के अधिकार–क्षेत्र में धनशोधन मुख्यतः तीन चरणों की प्रक्रिया से होता हैः–

1. किसी देश से अर्जित अवैध धन को ले जाकर किसी अन्य देश के बैंक खाते में पहुंचाना। यह कैश कुरियरों, तस्करों या इलैक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफरों के जरिए धन का व्यवहारिक संचालन होता है। बैंक कार्मिकों की मिलीभगत या अनदेखी के द्वारा वायर ट्रांसफर किया जा सकता है।

2. विदेशों में रियल एस्टेट कारोबार में धन प्राप्त करने एवं संवितरण करने, निवेश करने हेतु अवैध रूप से धन को विदेशी बैंकों में भेजना अथवा प्रतिभूति खातों, फर्जी विदेशी निगमों का निर्माण करके काले धन को वैध करना।

3. इसमें विदेशों में जमा काले धन को विदेशी निवेश अथवा निगमों के रूप में, लैटर ऑफ क्रेडिट भुगतानों, परामर्शक प्रभारों, व्यापारित कारोबार के अधिक भुगतानों, अर्थात् व्यापार आधारित धनशोधन के रूप में फिर से देश में लाना। भारत में वापस लाया गया काला धन पहले पनामा, बहामास, कैमन आइलैंड अथवा लक्जमबर्ग जैसे तीसरे पक्ष के देश में उपयोग होता है । इस प्रक्रिया में धोखेबाज निगम अथवा व्यक्तियों हेतु फर्जी ऋण व्यवस्था करने के लिए संपति की खरीद/बिक्री भी शामिल हो सकती है। ये कारोबार सामान्यतः आयात/निर्यात आदि जैसे स्थिर कम प्रचालन लागत वाले नकद व्यापार के रूप में होते हैं।

कुछ एक मामलों में थोड़ा बहुत कर अदा कर दिया जाता है परंतु ज्यादातर स्थितियों में कैमन, आइलैंड, लक्जमबर्ग आदि जैसे क्षेत्रों में, जहां बैंक गोपनीयता कानून प्रभावी रूप से खातों की जांच को रोकते हैं अथवा उनकी ओर से विलंब करने के कारण ज्यादातर कर बचाना आसान होता है । करों की चोरी करने के आसान होने की कुछ कारण इस प्रकार हैः–

1. कड़े बैंकिग गोपनीयता और गुप्तता कानून

2. नियंत्रक गठित किये जाने में शिथिलता अथवा उनकी गैर मौजूदगी

3. लाभदायी स्वामी की पहचान करने में अक्षमता

4. कंपनी का निर्माण करने तथा वित्तीय कारोबार में अधिवक्ताओं, साचिविक कंपनियों और नामांकनों का इस्तेमाल

5. विदेशी बैंकों की अनुमति देना

ऐसा धनशोधकों द्वारा कुछ विकसित देशों में इस्तेमाल किया गया है । ऐसे ही एक मामले में मैरीलैंड में मार्च, 15 में एक निर्णय आया था, जहां एक आदमी, श्री क ख ग, को 42 महीने की जेल और 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया था । श्री क ख ग, जो मै. ए निगम के उपाध्यक्ष और मै. ए निगम तथा एक इजीप्टियन यूटिलिटी कंपनी द्वारा संचालित किए जा रहे संयुक्त उद्यम के महाप्रबंधक थे, उसको अपराधियों का साथ देने, फर्जी मेल भेजने, धनशोधन करने की साजिश रचने, कर विधि के काम–काज में बाधा पहुंचाने एवं हस्तक्षेप करने का दोषी पाया गया था । उसे ईईएचसी के लिए परियोजना सौंपे जाने हेतु संभावित उप–ठेकेदारों को चुनने और तीन विद्युत कंपनियों से 5.2 मिलियन डॉलर लेने का कार्य सौंपा गया था। यह विभिन्न विदेशी बैंकों के खातों के माध्यम से भुगतान करके और विदेशी बैंक खातो के बारे में फर्जी सूचना मुहैया करवा के किया गया था।

उसी तरह अमेरिका में, श्री च छ झ, एक निवेश सलाहकार और श्री ट ठ ड, एक अटॉर्नी को धनशोधकों को लाभ पहुंचाने की साजिश करने के कारण जेल हुई थी । इन्होंने बैंक से धोखाधड़ी करके अर्जित लगभग 2 मिलियन डॉलर की धनराशि की अवैध परिसम्पत्ति की प्रकृति, स्थल, साधन, स्वामित्व को छिपाने एवं उसे छद्म रूप में दिखाने की साजिश रची थी । इन्होंने आय के साधन की असली पहचान को छिपाने के लिए बनाई गई विदेशी सरंचना के तथाकथित धनशोधन से अर्जित आय में विधि प्रवर्तन अभिकर्ताओं को अमेरिका के ग्राहकों के रूप में दिखाने में सहायता की थी। इन्होंने ग्राहकों की तरफ से शोधित धनराशि का निवेश किया और उसे इस तरह से प्रस्तुत किया कि धनराशि का सरकार को पता नहीं चल सके।

अब भारत के बारे में बात करते हैं। हमारे यहां दोष साबित करने एवं विदेशों में कुर्की करने में बहुत खामियां हैं। यह लेख प्राथमिक रूप से भारत की भारतीय सीमा के बाहर धनशोधन के निवारण में प्रभावकारिता और अपराध से अर्जित उस धन का पता लगाने, उसे रोकने, जब्त करने और कुर्क करने पर ध्यान केंद्रित करना दर्शाता है। आज की तारीख तक हम केवल दो मामलों में विदेशी अधिकार–क्षेत्र में परिसंपत्ति को कुर्क कर सके। अर्थात् हमने भारत में किडनी रैकेट चलाने वाले एक अपराधी की आस्ट्रेलिया में स्थित संपत्ति की कुर्की की और मुम्बई के एक पोंजी स्कीम संचालक की स्विजरलैंड में स्थित संपत्ति कुर्क की थी। पीएमएलए 2002 के तहत हमारे कानूनी आधार धनशोधन निवारण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बहुत मजबूत है परंतु हम इस आधार के बल पर अपनी प्रभावकारिता को अंजाम तक पहुंचाने में पिछड़ रहे हैं । इसका सबसे बड़ा कारण है, विदेशों में जांच कार्य में अधिक समय का लगना । एक आम परिस्थिति में एलआर के निष्पादन के लिए औसतन लगभग 3 वर्ष का समय लग जाता है । फरवरी 2019, में, जब एफएटीएफ द्वारा भारत का चौथे दौर का मूल्यांकन किया जाएगा तब हमारे द्वारा आरंभ तकनीकी तथा प्रभावकारिता अनुपालन मांगे गए विदेशी सहयोग की समीक्षा होगी और हमें अपेक्षित विदेशी सहयोग प्राप्त होगा तो तुरंत ही देश के लिए महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे ।

हमारे तकनीकी पैरामीटर्स प्रभावकारिता

के लिए उपयुक्त साधन हैं । पीएमएलए का अध्याय IX विशेष रूप से धनशोधन निवारण हेतु अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कार्य करने में सक्षम है । विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों के संबंध में इसका प्रयोजन आगे और बढ़ाया जा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में हमारे प्रयासों को मजबूत बनाया जा सकता है ।

वियना समझौता, 1988, पालेर्मो समझौता, 2000, और आतंक वित्त पोषण संबंधी समझौता, 1999 के जरिए धनशोधन निवारण प्रयास आरंभ किए गए है । नारकोटिक्स ड्रग्स के अवैध आवागमन और मनः प्रभावी पदार्थ के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु उत्तरदायित्व, मान्यता और जब्ती आदेश देने के प्रावधान स्थापित किए हैं । सन् 2000 में पारदेशी संगठित अपराध के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता और इसके प्रोटोकॉल मे कई आपराधिक अपराध, धनशोधन जैसे गंभीर अपराध करने वाले संगठित अपराधी दल के विरूद्ध प्रावधान शामिल हैं। भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता, 2003, एक समयबद्ध ढंग से भ्रष्टाचार के मामलों में सहायता करने वालों को प्रतिबंधित करना सुनिशचित करता है।

इन सभी के अतिरिक्त, एफटीएफ सिफारिशों का प्रत्यर्पण सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में अध्याय 'जी' एक अकेला ही कार्य करने में सक्षम है, जो पूरे विश्व में धनशोधन निवारण कानूनों के लिए मानदंड है। हम इन साधनों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मूल्यांकन के लिए प्रभावकारी होगा।

कानूनी और तकनीकी सहायता स्थापित करने से हमें निम्नलिखित के संबंध में संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने हेतु एक बेहतर वित्तीय अन्वेषण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है :–

1. अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान करना,

2. संपत्ति का पता लगाना,

3. उस पर रोक लगाना अथवा हस्तांतरित करके कुर्की योग्य संपत्ति को जब्त करना अथवा ऐसी संपत्ति का निपटान करना और बाद में विदेशी अधिकार–क्षेत्र में उस संपत्ति की कुर्की किया जाना सुकर बनाना ।

तदनुसार, विभिन्न रूपों में विदेशी सहयोग मांगा जा सकता है :

अन्वेषण हेतु सहायता :

रोक लगाने–जब्त करने में सहायता :

जब्तीकरण प्रक्रिया में सहायता/परिसंपत्ति की हिस्सेदारी/देश–प्रत्यवर्तन

एक कुशल प्रणाली के लिए अनौपचारिक और औपचारिक दोनों रूप में विदेशी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। एक तरफ हम आवश्यकता पड़ने पर अन्वेषण कार्य में सहायता करने के लिए अनौपचारिक माध्यमों का पता लगा सकते हैं क्योंकि अनौपचारिक स्त्रोतों पर कार्य करने से औपचारिक अनुरोधों को बल दिया जा सकता है। इस संबंध में, हम द्विपक्षीय करारों का प्रयोग कर सकते हैं अथवा इंटरपोल या विदेशी सीमा–शुल्क आसूचना नेटवर्क (कॉइन) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सूचना हासिल कर सकते हैं। हमें परिसंपत्तियों का पता लगाने, रोक लगाने और जब्त करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय विशेषज्ञों के व्यवहारिक सहयोग के लिए एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क संगठन, कैमडेन एसेट्रेस रिकवरी इंट्रोनेंसी नेटवर्क(कारिन) पर भी ध्यान देना है, इसके सहायक संगठन अन्य देशों में सूचना एवं अनुभव के

आदान–प्रदान, सीधे संपर्क को सुकर बनाते है, इसका सचिवालय यूरोपोल है ।

अतः औपचारिक अनुरोध के मामले में, विदेशी अधिकार–क्षेत्र से उनकी राय जानने के लिए अनौपचारिक रूप से एक प्रारूप का आदान–प्रदान किया जा सकता है । हाल ही में अनौपचारिक प्रारूप के जरिए औपचारिक अनुरोध किया गया था इसलिए इस मामले का कार्य निष्पादन अनुरोध करने के तीन महीने के भीतर कर दिया गया था। प्राथमिक रूप से धनशोधन निवारण और टीएफ के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आधार एफएटीएफ सिफारिशें हैं। इसमें देशों को धनशोधन अभियोजनों के संबंध में और उससे जुड़ी कार्यवाहियों में परस्पर कानूनी सहायता का दायरा मजबूती से एवं प्रभावी तौर पर और अधिक बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे को कानूनी मदद देने के लिए प्रर्याप्त विधिक आधार होना चाहिए। उसी तरह पारस्परिकता के आदान–प्रदान करने पर विचार करना चाहिए और अपने घरेलु कानूनों अर्थात "दोहरी अपराधशीलता" के अनुरूप अनुरोध किया जाए अथवा उसे उसी तरह भारत की अन्य देशों के अधिकार–क्षेत्र की संधि के अंतर्गत मुहैया करवाया जाए। उपर्युक्त के मद्देनजर, किसी औपचारिक अनुरोध हेतु (संपत्ति के किसी कारोबार में, हस्तांतरण अथवा निकासी के निवारण को रोकने, जब्त करने, इन कारणों से उपायों को लगातार जारी रखने जैसे कुर्की तथा अनंतिम उपाय करने के प्रयोजन से) दो महत्वपूर्ण आवश्यकता निम्नानुसार हैं:–

1 .पीएमएलए को ध्यान में रखकर अपराध से अर्जित संपत्ति का संबंध स्थापित किया जाए ।

2. धनशोधन में मदद करने वाले सहायकों की पहचान की जाए और उनका पता लगाया जाए ।

कुर्की के योग्य अपराध से अर्जित आय एवं अन्य सम्पत्तियों के बारे में सूचना (भूमि पंजिका, कंपनी पंजिका, कर डाटा...) को विधि प्रवर्तन की पहुंच तक लाना, अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान करना एवं पता लगाना आवश्यक है। अधिकतर अधिकार–क्षेत्रों में, कोई केंद्रीय पंजीकरण नही होते इसलिए संपत्ति का वर्तमान स्थल प्रकृति कानूनी स्थिति अथवा उसकी कीमत के सुरक्षित साक्ष्य संबंधित अधिकार–क्षेत्र के मुहैया करवाने होते हैं ।

इसे निम्न के रूप में आगे और समझाया गया है :–

क. बैंक खातों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अनुरोध करते समय, यह निर्धारित करना होता है कि क्या खातों का जांच करने के कारण उन पर रोक लगाई गई अथवा गैर बैंकीय वित्तीय संस्थानों में खुले हुए खातों सहित एक या उससे ज्यादा खातों को चलाया जा रहा है । ये अपराध से अर्जित आय, बैंक तथा खाते ब्योरे से किस प्रकार संबंधित है ।

ख. क्या किया गया अनुरोध, विशिष्ट बैंक खाते के विवरण हेतु बैंकिग लेन–देन और भेजे गए एवं प्राप्त किए गए खाते के विवरण को शामिल करने के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए है ? यदि हां तो उसका विवरण अर्थात् अवधि तिथियां क्या है ।

एफएटीएफ सिफारिशों के संबंध में यह अपेक्षित है कि जब परस्पर कानूनी सहायता किए जाने के अनुरोध किए जाते हैं तो सम्पूर्ण तथ्यपरक एवं कानूनी सूचना प्रदान करने के बेहतर प्रयास किए जाएं, जिससे किसी आपातकालिक आवश्यकता सहित अनुरोधों का समय पर और प्रभावशाली ढ़ंग से निष्पादन हो और ऐसे अनुरोधों को तत्परता से भेजना चाहिए। अन्य देशों को अनुरोधों को भेजने से पहले कानूनी आवश्यकताओं और सहायता प्राप्त करने की औपचारिकताएं सुनिश्चित करने के बेहतर प्रयास करने चाहिए और हमें इसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए ताकि हम विश्व में किसी अन्य देश की तरह ही प्रतिस्पर्द्धी बन सकें।

अनिल के रावल,
सहायक निदेशक,
(मुख्यालय)

प्रशिक्षण से सशक्तिकरण की ओर

कोई भी संगठन अपने मूल्यों एवं सदाचारों के बल पर खड़ा होता है, जो उसके कार्य बल से प्रकट होता है। एक संगठन के रूप में प्रवर्तन निदेशालय अपने कार्यबल के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बहुत अग्रणी हो चुका है। प्रवर्तन निदेशालय उन कुछ सरकारी संगठनों में से एक है, जिनका अपना प्रशिक्षण कैलेंडर है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने "प्रवर्तन निदेशालय समेकित प्रशिक्षण केंद्र" नामक अपना प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किया है, जिसे संक्षिप्त में "इडिक्ट" कहते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रशिक्षण पर इतना ध्यान केंद्रित इसलिए किया है क्योंकि प्रशिक्षण से ही संगठन का कार्य निष्पादन, क्षमता और कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया जा सकता है। एक संगठन के रूप में हमारा यह मानना है कि इसे बनाने में प्रत्येक कार्मिक का योगदान होता है। हमने कार्मिकों के योगदान को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करके एक संगठन के रूप में हमने कार्मिकों के आपसी समन्वय को पहले से ज्यादा सशक्त बनाया है। हमने नित नए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए हैं। हाल ही में हमने "सदाचार और मूल्यों की भूमिका" एवं "साइबर फोरेंसिक" विषय पर कार्यशालाएं आयोजित की जो कि पूर्णतः नए विषय थे।

प्रवर्तन निदेशालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बहुत अग्रणी हो गया है ताकि जांच प्रक्रियाओं के दौरान आने वाली असंख्य चुनौतियों का सामना करने में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा सके। वर्तमान में आयोजित किए गए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार हैः—

1. पीएमएलए के संबंध में कार्यशाला (26—28 मई, 2014):— प्रवर्तन अधिकारी से लेकर संयुक्त निदेशक स्तर के 24 अधिकारियों को पीएमएलए को बेहतर ढ़ंग से समझने एवं उक्त अधिनियम में नए संशोधनों को जानने के लिए प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण उक्त कानून को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया था।

2. उर्ध्वाधर समेकित परिचय कार्यक्रम (वीआईआईपी) (09—13 जून,2014):— प्रतिनियुक्ति पर आए 25 अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लागू किए जाने वाले दो कानूनों अर्थात् फेमा और पीएमएलए अधिनियमों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

3. साइबर फोरेंसिक के बारे में कार्यशाला (07—09 जूलाई, 2014):—प्रवर्तन अधिकारी से लेकर संयुक्त निदेशक स्तर तक के 25 अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्य जुटाने के बारे में परिचित कराने एवं उसको समुचित रूप से संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

4. सदाचारों एवं मूल्यों की भूमिका के बारे में कार्यशाला (28 अगस्त,2014):— सदाचार एवं मूल्य किसी भी संगठन के मेरुदंड के रूप में होते हैं, जिससे वह संगठन अपनी पहचान बनाता है। अपने कार्मिकों का उत्साहवर्धन करने एवं अपने आचार में निष्पक्ष रहने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 29 अधिकारियों हेतु सदाचार एवं मूल्यों की भूमिका के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

5. कानूनी मुद्दों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (25—29 अगस्त, 2014):— इस निदेशालय द्वारा प्रवर्तित किए जा रहे दो कानूनों अर्थात् फेमा एवं पीएमएलए के बारे में बारीकी से और ब्यौरेवार जानकारी देने के लिए 05 विधिक सलाहकारों को प्रशिक्षित किया गया था।

6. साइबर सुरक्षा एवं कानून के बारे में कार्यशाला (29 सितंबर, 2014):– चूंकि डिजिटल साक्ष्य जुटाना और इसको समुचित रूप से संभालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सहायक प्रवर्तन अधिकारियों से लेकर उपनिदेशक स्तर के 24 अधिकारियों को उपर्युक्त विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

7. अभियोजन शिकायत के संबंध में कार्यशाला (01 नवंबर, 2014):– अभियोजन कार्यवाहियों में अभियोजन शिकायत को भरना एक महत्वपूर्ण कदम होता है, जिसमें बारीकी से तकनीकी ब्यौरे की जानकारी होनी अपेक्षित होती है। ऐसी कार्यवाहियों से निपटने हेतु हमारे अधिकारियों को विशेषता प्रदान करने के लिए भारतीय विधि संस्थान में अभियोजन शिकायत के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी और 29 अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया था।

8. केपीएमजी द्वारा वित्तीय जांच के बारे में आयोजित कार्यशाला (22 नवंबर, 2014): 5 वित्तीय जांचों में बहुत ज्यादा अनुभव और कौशल की आवश्यकता पड़ती है। हमारे गैर सरकारी भागीदारों द्वारा की जाने वाली वित्तीय जांचों में उन्हें अग्रणी बनाने के लिए एक बड़ी लेखापरीक्षा फर्म, केपीएमजी द्वारा वित्तीय जांच के बारे में कार्यशाला आयोजित की गई थी। उक्त कार्यशाला में प्रवर्तन अधिकारी से लेकर संयुक्त निदेशक स्तर तक के 20 अधिकारियों ने भाग लिया था।

9. पवई, मुम्बई में वित्तीय जांच के बारे में कार्यशाला (22–24 दिसंबर, 2014):– वित्तीय जांचों के संबंध में क्षमता संवर्धन के लिए विविध जांच अभिकरणों और बैंकिग क्षेत्र से आए हुए प्रशिक्षकों के माध्यम से वित्तीय जांच के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। उक्त कार्यशाला में 40 कार्मिकों ने भाग लिया था।

10. उर्ध्वाधर समेकित परिचय कार्यक्रम (27–31 जनवरी, 2014):– प्रवर्तन निदेशालय समेकित प्रशिक्षण केंद्र में प्रतिनियुक्ति के आधार पर आए 18 कार्मिकों के लिए एक परिचय कार्यशाला आयोजित की गई थी। उक्त कार्यशाला में पीएमएलए और फेमा के बारे में उनकी विविध विवक्षाओं उनका व्यवहारिक कार्यान्वयन के संबंध में जानकारीपरक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

धनशोधन जांच विभाग (डीएमएलआई), नेपाल द्वारा उनके समग्र कार्मिकों के क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय से अनुरोध किया गया था। इस निदेशालय ने डीएमएलआई, नेपाल के कनिष्ठ अधिकारियों से लेकर संयुक्त सचिव स्तर तक के समग्र अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुरूप प्रशिक्षित किया था, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	अधिकारियों का स्तर	अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम की तारीख
1	मूलभूत पाठ्यक्रम	सप्ताह 03	कनिष्ठ स्तर	30	26.09.14 से 08.09.14
2	उन्नत पाठ्यक्रम	सप्ताह 03	जांच अधिकारी	20	05.09.14 से 19.08.14
3	अनुभव साझा करने एवं उच्च स्तरीय प्रदर्शन कार्यक्रम	सप्ताह 01	वरिष्ठ अधिकारी	10	25.07.14 से 21.07.14

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारण में अधिकारियों/जांच कर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने में अत्यधिक अनुभव हासिल कर लिया है और धनशोधन निवारण तथा आंतक वित्तीय संचालन निवारण के संबंध में, जहां आवश्यकता हो वहां, अन्य सार्क राष्ट्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में सुसज्जित हो गया है।

हिमांशु कुमार लाल,
संयुक्त निदेशक,
(मुख्यालय)

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण जाँच

विषयः— एक कंपनी के चैयरमेन द्वारा कंपनी के तुलन पत्र(बैलेंस शीट) में अपने निजी फायदे के लिए झूठे आंकड़े बढ़ाकर घोटाला करने की योजना बनाना ।

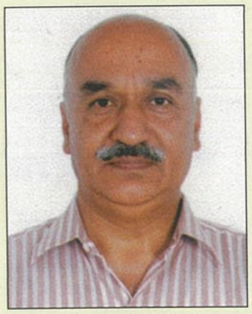

दक्षिण भारत की एक कंपनी ने अपने प्रबंधन संगठन की सांठ–गांठ से कंपनी की वित्तीय स्थिति को बेहतर दर्शाने की मंशा से पिछले पंद्रह सालों से कंपनी के तुलन–पत्र में बनावटी बढ़ा चढ़ा के आंकड़े दिखा कर एक घोटाला करने की योजना बनाई। कंपनी के प्रबंधन और कमर्चारियों ने अवैध तरीके से अर्जित आय को बेदाग संपत्ति के रूप में दर्शाने की मंशा से कई सहायक कंपनियां चला रखी थी । उक्त कंपनी का प्रबंधन, कंपनी के अधिकतर शेयरों को अपने पास रखता था। वे इन शेयरों को अपनी अन्य कंपनियों में निगमित कर देते और इन शेयरों के हस्तांतरण के बाद तुरंत 1:1 के अनुपात में शेयर बोनस की घोषणा कर दी जाती थी। प्रबंधन के अधिकार वाले अधिकतर शेयर दुगुने हो गए थे। जब बड़ी संख्या में लोगों ने इस कंपनी के शेयरों को खरीदा तो कंपनी के चैयरमेन ने शेयरों को गिरवी रख कर ऋण लिया अथवा ऊपर उल्लिखित इसकी अन्य कंपनियों के माध्यम से शेयरों को बेच दिया गया और इससे बहुत बड़ी धनराशि अर्जित की गई । इस धनराशि को इसकी अन्य सहायक कंपनियों में हस्तांतरित कर दिया गया और उसके बाद इस धनराशि का इस्तेमाल रियल एस्टेट में किया गया था। इस घोटाले की राज्य अन्वेषण विभागों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जॉच की गई । उक्त कंपनी के चैयरमेन को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला गया। संदिग्धों को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी, जिसे बाद में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक कार्यवाही को तत्परता से पूरी करने हेतु रोजाना सुनवाई करने का निदेश दिया । संदिग्धों को लगभग एक वर्ष जेल में रहने के बाद ही जमानत मिल पाई थी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जॉच आरंभ करने के परिणामस्वरूप उक्त कंपनी और इसके प्रबंधन की क्रमशः 250 करोड़ रूपए और 822 करोड़ रूपए की चल एवं अचल संपत्ति की कुर्की की गई । प्रवर्तन निदेशालय कंपनी और इसके प्रबंधन की अन्य परिसंपत्तियों की कुर्की किए जाने की प्रक्रिया में है । उक्त कंपनी ने इन कुर्की आदेशों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और माननीय उच्च न्यायालय ने इन कुर्की आदेशों पर रोक लगा दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस कंपनी और इसके प्रबंधन के विरूद्ध मुकदमा दायर किया है ।

ए. के. कौशल,
सहायक निदेशक,
(मुख्यालय)

जयपुर के राजा श्री गोविन्द की महिमा

जयपुर के सैंकडों मंदिरों में गोविन्द देवजी के मंदिर की अपनी अलग महिमा है। जो भी यात्री या पर्यटक इस शहर में आता है वह यहां के अन्य दर्शनीय स्थानों के साथ श्री गोविन्ददेव की झांकी करने के लिये भी अवश्य गोविन्द देवजी के मंदिर में आता है। जयपुर के राजा भी अपने जमाने में गोविन्द देवजी को राजा और अपने को दीवान मानते थे। गोविन्द आज भी राजा है। उनके दरबार में हजारों भक्त हाजिर होते हैं और राधा गोविन्द की लीलाओं के भजन–कीर्तन से सारे जयनिवास उद्यान को वृंदावन बना देते हैं। प्रत्येक दिन नयनाभिराम सात झॉकिया होती हैं। जयपुर दर्शन के लिए एक अलग नजर का होना बहुत जरूरी है। जयपुर का आंतरिक सौंदर्य साधारण नयनों से नहीं देखा जा सकता। यह नगर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। एक समय ऐसा भी था जब धर्म संबंधी किसी भी विवाद में जयपुर की धर्म सभा मोद मंदिर का निर्णय काशी में भी मान्य होता था। जयपुर के विद्वानों का भारत में बहुत नाम था।

यह मंदिर उस बारहदरी में है जो सूरजमल के नाम से जय निवास बाग में चंद्रमहल और बादल महल के मध्य बनी हैं। किवंदन्ती है कि सवाई जयसिंह जी जब जयपुर शहर बसा रहे थे तो सबसे पहले इसी बारहदरी में रहने लगे थे। सवाई जयसिंह को रात को स्वप्न आया कि यह स्थान तो भगवान का है और उसे छोड़ देना चाहिए। अगले दिन वह चंद्रमहल में रहने लगे और यहां श्री गोविन्द जी पाट बैठाये गये।

भक्तों का मानना है कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने यह विग्रह बनवाया था। वज्रनाभ की दादी ने कृष्ण को देखा था, इसलिये सबसे पहले वज्रनाभ ने जो विग्रह तैयार करवाया उसे देखकर वह बोली कि भगवान के पाँव और चरण तो बिल्कुल उन जैसे बन गये, पर अन्य अवयव कृष्ण से नहीं मिलते। वह विग्रह मदनमोहन के नाम से जाना गया, जो अब करौली में विराजमान है। वज्रनाभ ने दूसरी मूर्ति बनवायी जिसमें भगवान का वक्षस्थल और बाहु सही बने। इसे गोपीनाथ का स्वरूप कहा गया। यह जयपुर में पुरानी बस्ती में विराजमान है। फिर तीसरी मूर्ति बनवाई गई जिसे देखकर वज्रनाभ की दादी कह उठी अहा भगवान का अरविन्द नयनों वाला मुखारबिन्द ठीक ऐसा ही था। यह हमारे जयपुर के श्री गोविन्द की मूर्ति है। यह मन्दिर भारत का सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक मंदिर है।

माना जाता है कि एक ही दिन तीनों विग्रहों के दर्शन करने से साक्षात गोविन्द दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है।

श्री गोविन्द देव के इस विग्रह के सामने राजा मानसिंह जैसे वीर योद्धा का सिर झुका और अकबर जैसे बादशाह ने भी इनका सम्मान किया। माधव–गौड वैष्णव सम्प्रदाय की इस सर्वोच्च शिरोमणि मूर्ति को जयपुर वाले तो इष्ट मानते ही हैं। चैतन्य महाप्रभु के हजारों अनुयायी बंगाल, बिहार, मणिपुर और असम तक से दर्शनों के लिए आते है जयपुर राधा गोविन्द के कारण भावुक भक्तों के लिए वृंदावन बना हुआ है।

जयपुर के लिए कहावत है– जयपुर शहर नगिनों नीचे माटी उपर चूनों। आप इस पर गौर करिये और शहर के बारे में ऐसा क्यों कहा गया। यह लेख पूज्य गुरूदेव श्री नन्द किशोर जी पारीक साहब द्वारा उपदिष्ट संदर्भ से लिखा गया है।

विजय आचार्य,
जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
(जयपुर)

अविस्मरणीय यात्रा/वृतान्त

यात्राएं किसी भी व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा होती हैं जो अपने साथ बहुत से सुखद अनुभवों व यादों को जोड़ती है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी यात्राएं करता है परन्तु उनमें से कुछ यात्राएं ऐसी होती है जो उस व्यक्ति की यात्रा को अविस्मरणीय बना देती है। यात्राएं व्यक्ति के जीवन में रोमांच भरती है और केवल यात्राओं के माध्यम से जो विश्व एक समय विशाल अज्ञात होता था आज वह सहज और सुगम लग रहा है अतः यात्राओं के द्वारा ही विश्व के विभिन्न पर्यटकों को नए–नए स्थानों की खोज की है, यहां तक कि वे ब्रह्माण्ड में उपस्थित अन्य ग्रहों और उपग्रहों के नजदीक भी पहुंच गया है।

मैंने भी अपने जीवन में अनेक यात्राएं की है परन्तु उनमें से मेरी एक यात्रा जो कि मेरे लिए अविस्मरणीय है और आज भी में उस यात्रा का सफर कर रहा है। अपनी इस यात्रा के कुछ खट्टे–मीठे अनुभवों को मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, मेरी इस यात्रा का प्रस्थान स्थल दिल्ली था और गन्तव्य स्थान चेन्नई था। मेरी यह यात्रा दिनांक 01 दिसम्बर 2012 से आरम्भ हुई और 02 दिसम्बर 2012 को अस्थाई रूप से समाप्त हुई। जब मैं अपने गंतव्य स्थान चेन्नई को पहुंचा। मेरी यह यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय इसलिए है कि क्योंकि इसके साथ मेरी बहुत सी खट्टी–मीठी यादें जुड़ी हुई है इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि इतनी लम्बी यात्रा मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं कि थी, इस यात्रा के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं।

मेरी इस यात्रा का प्रारम्भ तो वास्तव में 01 दिसम्बर 2012 से आरंभ हुआ परन्तु इस यात्रा का अनुभव मुझे उस दिन से हो रहा था जिस दिन से मुझे प्रवर्तन निदेशालय, चेन्नई कार्यालय में पेश होने के लिए नियुक्ति पत्र, प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली मुख्यालय से प्राप्त हुआ। यही वास्तव में मेरी यात्रा का मूल बिन्दु था और वहां से मेरी यात्रा की शुरूआत हुई थी, चेन्नई जो कि मेरे लिए बिलकुल नया स्थान था परन्तु मैने इसके बारे में बचपन से ही बहुत सुना था क्योंकि मेरे बहुत से दक्षिण भारतीय मित्र थे परन्तु मैने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी दिल्ली को छोड़कर चेन्नई जाऊंगा।

मेरा यह सफर दिनांक 01 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में मेरे निवास स्थान महरौली से सुबह 05.00 बजे हुआ। मेरे घनिष्ठ मित्र मुझे विदा करने के लिए आए थे। मेरी रेलगाड़ी का प्रस्थान समय प्रातः 7 बजे प्रारम्भ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन था, मैं जब सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचा तो यह देखकर अचम्भित रह गया की सर्दी के समय में प्रातः काल में रेलवे स्टेशन में इतनी भीड़ थी जो मेरी कल्पना से बाहर थी। मेरे अन्तः मन मैं बहुत से विचार हिचकोले खा रहे थे। मेरा मन कशमकश में लगा था कि मैं दिल्ली में सरकारी सेवा में कार्यरत था और मेरा परिवार मेरे साथ दिल्ली में था मैं उन्हें छोड़कर नए शहर में फिर से बसने के लिए जा रहा था क्या मेरा यह निर्णय सही है या गलत। परन्तु इसी बीच मेरी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी हो गई और मैं अपनी आरक्षित सीट ग्रहण कर उस पर बैठ गया। मेरी रेलगाड़ी का नाम विरूनुब्रन एक्सप्रैस था जिसमें अधिकतर लोग भारत के दक्षिणी भाग से संबंध रखने वाले थे।

जब से मैंने सीट ग्रहण की तब से मैं यह सोचता रहा कि 34 घंटे का दिल्ली से चेन्नई का सफर कैसे कटेगा मैने इससे पूर्व कभी भी इतनी लम्बी यात्रा नहीं की थी। सर्वप्रथम मेरा प्रयास यह था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करूं जो कि तमिलनाडु से सम्बन्ध रखता हो और उसे हिन्दी का भी ज्ञान हो ताकि मेरा सफर थोड़ा आसान हो जाए और मुझे कुछ चेन्नई के बारे में यहां कि संस्कृति, रहन–सहन और भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए आरम्भ के तीन चार घंटे तो मेरे एक ऐसे दोस्त की तलाश में निकल गए जिनसे मैं कुछ तमिलनाडु के बारे में जान पाता। अंततः मुझे एक मित्र मिले जो मूलतः त्रिची, तमिलनाडु से सम्बन्ध रखते

थे परन्तु दिल्ली में नौकरी करते थे और उन्हें भी दिल्ली में रहते हुए एक वर्ष हो चुका था, उनको देखकर मेरी नकारात्मक सोच तुरन्त सकारात्मक हो गई और मैंने यह सोचा कि जब दक्षिण में बसे लोग दिल्ली में आकर बस सकते हैं, और खुश भी हैं तो मुझे भी चेन्नई जाकर नौकरी करने में क्या समस्या हो सकती है यह तो मेरी यात्रा का शुरूआती समय था। मेरे नए मित्र का नाम श्री प्रभाकरन था जो कि त्रिची, तमिलनाडु के मूल निवासी और नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में बसे थे। उस यात्रा के दौरान जब कभी भी मेरे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते थे तो मैं उनकी तरफ देखकर उन विचारों को सकारात्मक रुख प्रदान करने की कोशिश करता था। उन्होने मुझे बताया कि मुझे यहां चेन्नई में भाषा की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि चेन्नई एक महानगर है और हर महानगर में शिक्षित लोगों का प्रतिशत हमेशा बहुत ज्यादा होता है। उन्हें कम से कम अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होता है, जिससे मैं अपनी मनोभावना को काफी हद तक अंग्रेजी माध्यम से समझा सकता हूं। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि चेन्नई में तमिलनाडु के अन्य जिलों की तुलना में हिन्दी बोलने वालों की संख्या भी बहुत है। जैसे–जैसे समय बीतता गया हमारे विचारों का आदान प्रदान भी चलता रहा और वह मुझे समय समय पर प्रेरित भी कर रहे थे कि चेन्नई अच्छा शहर है। वहां हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और एक शांतिपूर्ण शहर है। परन्तु मेरा मन हर बार उद्वेलित हो रहा था कि मैं नए शहर में कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाऊंगा। क्योंकि मेरा चेन्नई में न तो कोई रहने का ठिकाना था और न ही मेरे कोई परिचित चेन्नई में थे। परन्तु मैं अपने मन को यह कह कर मना रहा था कि अभी तो चेन्नई बहुत दूर है। और हम दोनों मित्र आपस में एक दूसरे के परिवारों के बारे में जानने में रूचि ले रहे थे। उतरी और दक्षिणी भारत की संस्कृति, रीति, रिवाजों, जीवन जीने की शैली की जानकारी प्राप्त करने में लगे थे। जिससे की हमें दोनों को आगे किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। रात्रि के भोजन के पश्चात् मैं जब सोने के लिए गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपने घर की याद बार–बार सता रही थी। मैं मन ही मन यह सोच रहा था कि क्यों मैं अपने परिवार से दूर जा रहा हूँ। मुझे अपने पुत्र जिसकी उम्र मात्र चार वर्ष थी, उसकी बहुत याद आ रही थी। वह मुझसे बार–बार यह पूछ रहा था कि पापा आप दिल्ली कब आओगे।

मुझे रात्रि को बिल्कुल भी नींद नहीं आई और पूरी रात मैंने पुरानी यादों को याद करते हुए बिसार दी। जब सुबह हुई तो ट्रेन बहुत दूर पहुंच गई थी। नए दिन को नए उत्साह के साथ शुरू करना चाहा और मैं अपने अंतर्मन को प्रेरित करता रहा। अगले दिन की शुरुआत भी फिर उसी चर्चा से शुरू हुई जिसमें उन्होने मुझे मार्गदर्शन दिया कि चेन्नई पहुंच कर तुम यहाँ जाना, यहां पर गेस्ट हाऊस मिल जाएगा और फिर वैसे ही विचारों का आदान प्रदान होता रहा।

परन्तु जब चेन्नई नजदीक आने लगा तो मेरा मन घबराने लगा और मैं यह सोचता रहा कि मैं चेन्नई में कहॉ जाऊँगा और कैसे में अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंच पाऊँगा, क्योंकि रात्रि 8 बजे मुझे एहोर स्टेशन चेन्नई में उतरना था। फिर यात्रा समाप्ति का समय भी आ गया और मैंने मित्र को धन्यवाद देते हुए विदा किया और हमने फोन नम्बर का आदान प्रदान भी किया। फिर मैं स्टेशन पर उतर गया और मैंने निर्णय लिया कि मैं सीधे रात्रि को अपने कार्यालय में पहुंचूगा और वो ही मेरी आगे की व्यवस्था करेंगे। मैं कार्यालय पहुँचा, जहां मुझे एक महानुभाव श्री शंकर जी मिले जिन्होनें मुझे पहचाना और मेरे आगे की व्यवस्था की। मैं उनका आज भी शुक्रगुजार हूँ।

मेरी इस यात्रा का मौखिक रूप से समापन तो हो गया था परन्तु मेरी यह यात्रा अभी भी जारी है। आज मैं अपने फैसले पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं जिसकी बदौलत मुझे एक अच्छे मित्र मिले और भारत के दक्षिणी भाग को जानने का मौका मिला और मेरी ये यात्रा अविस्मरणीय बन गई।

मंगल सिंह,
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, (चैन्नई)

प्रवर्तन निदेशालय में अपनाये गये बुनियादी मूल्य

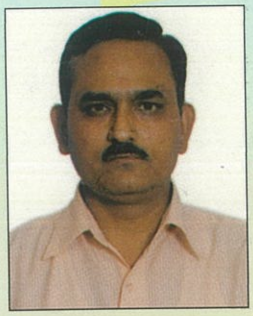

प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जॉच एजेंसी के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। इस संदर्भ में निदेशालय का एक विशेष इतिहास रहा है। निदेशालय द्वारा हाई–प्रोफाइल केसों का अन्वेषण बहुत ही समयबद्ध व सुचारू रूप में किया गया है। निदेशालय में अपनाये गये आधारभूत मूल्य में निम्नलिखित मद बहुत ही महत्वपूर्ण है–

1. **सत्यनिष्ठाः**– सत्यनिष्ठा हमारी आधारभूत जरूरत है, जो निम्नलिखित मदों द्वारा दर्शायी जाती हैः–

- हमारे मौलिक सिद्धांतों की परिपक्वता, ईमानदारी एवं कार्यनिष्ठा पर निर्भर करती है।
- व्यक्तिगत व्यवहार व चरित्र के उच्च मानक।
- संपूर्ण विश्वस्तता से सूचना का निष्पादन।

2. **जवाबदेहीः**– हम अपने द्वारा किये गये कार्यों के परिणाम के प्रति जवाबदेह हैंः–

- हर व्यक्ति को पता है कि उससे क्या–क्या उम्मीदें है तथा उसके द्वारा निष्पादित कार्यों की सफलता का आकलन व उपयोगिता का ज्ञान होना चाहिए।
- हमें अपने द्वारा किये गये प्रयासों व कार्यकलापों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

3. **वचनबद्धताः**– वचनबद्धता का अर्थ है अपने कर्त्तव्यों के प्रति समर्पण, अनुप्रयोग, दृढ़ता, उद्देश्यों की प्राप्ति जिसके लिए हमेः–

- प्रत्येक कार्य को करने के लिए समर्पण जिससे अपने उत्तरदायित्वों का संपूर्ण निर्वाह हो सकें।
- संगठन के उद्देश्य व टीम भावना की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास।

4. **उत्कृष्टताः**– हम अपने द्वारा किये गये कार्यों में सर्वोच्च मानक स्थापित करते हैं तथा निम्नलिखित प्रकार से इसके लिए निरंतर अग्रसर रहते हैं–

- कार्यों को करने की क्षमता को लगातार बढ़ा कर तथा बेकार व अदक्षता को पूरी तरह से नकार कर।
- अन्वेषण तकनीकों को लगातार बढ़ाकर तथा विश्वयी अच्छी तकनीकों को अपना कर।
- सामूहिक रूप से कार्य करने का समर्थन करना, एक दूसरे से जानकारी का आदान–प्रदान करना, कार्यों के प्रत्यायोजन को प्रोत्साहन देना, अनुशासन संबंधी मामलों से सख्ती से निपटना।

5. **निष्पक्षताः**– हमारा उद्देश्य (युक्तियुक्त)

- अपनी अन्वेषणों में उचित व निष्पक्ष रहना।
- सच्चाई को सबके सामने लाना।
- निर्णय बिना किसी भय व पक्षपात के।
- बिना किसी द्वेष, पूर्वाग्रह या पक्षपात के कार्य करना एवं सत्ता का दुरुपयोग नहीं होने देना।

प्रवर्तन निदेशालय में निदेशक महोदय व वरिष्ठ अधिकारियों के अथक प्रयासों से इन आधारभूत सिद्धांतों को प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी की कार्यशैली में उतारने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस संदर्भ में भिन्न–भिन्न कार्यशालाएं व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते है। आज प्रवर्तन निदेशालय देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी ख्याति फैला चुका है। अलग–अलग अन्तर्राष्ट्रीय मंचों जैसे एफएटीएफ व एपीजी में भी भारत के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किये गये कार्यों की भूरि–भूरि प्रशंसा होती है। यह सब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा तैयार किये गए कार्य बल से ही संभव हुआ है।

वेदप्रकाश वर्मा,
सहायक निदेशक,
(मुख्यालय)

नारी

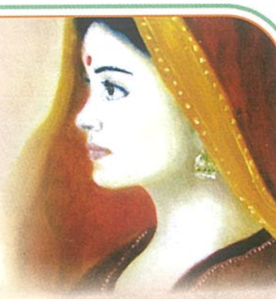

मैं एक नारी जुर्म सहूँ मजबूरी है मेरी, मुझे दर्द देता खुदा
तू दिल भर के शायद ये फितरत है तेरी । मुझे तो खुदा
दिखता है तेरे बनाए हर इंसान में,
फिर वो क्यों जाते है तुझे भूल मयखानों में, आजकल
इज्जत बिकती है नारी की दुकानों पे ।
शायद खुदा भी बुरा देख बुरा हो गया, जुड़ कर रहने
लगा है शैतानों से ।
पर्वत सा हौंसला था,
एक औरत की जुबान कह रही,
बस अब जुर्म सहते बनकर रह गयी,

मिट्टी की ढ़ेरी ।
क्यों हर रोज मेरी कलम रो लेना चाहती है,
और हर रोज लाखों दर्द नारी के बारे में ही लिखे ।
आंखों पर पट्टी बांधकर तू बैठा है,
क्या खूदा तूने अभी भी नारी का दुख नहीं देखा है ।
अभी भी वक्त बचा है तेरे और मेरे पास भी, वरना ऐसा
वक्त ना आ जाए कि हो जाए देरी ।
हार का डर भी नहीं अगर इकट्ठी हो जाए नारी सभी, फिर
नहीं औकात होगी किसी दरिंदे की,
हमें आदत नहीं सहना गंदगी की ।
अगर पूरे संसार को समेटने की बात है तो वो मां में है,
मुझे बता भी तो दो क्यों हुआ ये गुनाह है ।
सब जानते हैं कि कितनी इज्जत होती है नारी की,
हम बात नहीं करते पहले हुई गद्दारी की ।
तू ही रोक खुदा इस कहर को,
वरना आऐगी किसी हमारी शक्ति से अंधेरी,
मैं एक नारी हूँ जुर्म सहूँ मजबूरी है मेरी ।

मनीष पुनियां,
हिन्दी आशुलिपिक,
(मुख्यालय)

हिन्दी का पखवाड़ा

कल परसों की बात है
दफ्तर में यह चर्चा थी
कि हिन्दी का पखवाड़ा है
1 से 14 तारीख तक
जिसका समय नौ से ग्यारह है
हिन्दी का पखवाड़ा है
भई हिन्दी का पखवाड़ा है

घर गई तो नानी बोली
नया क्या सीखा तुमने आज
दफ्तर के कागज पत्रों का
क्या समझ आया कामकाज
नानी के संग मैं रहती हूं
सारी बात उन्हीं से कहती हूं
मैं बोली प्यारी नानी
जरा सुनो मेरी कहानी
आजकल दफ्तर में हलचल ज्यादा है
क्योंकि हिन्दी का पखवाड़ा है
भई, हिन्दी का पखवाड़ा है

नानी मेरी अनपढ़ ठहरी
सोच में पड़ गई वह गहरी
पूछा मुझसे प्रश्न बनाकर
क्या है हिन्दी का पखवाड़ा
क्या कोई मौसम है या
काई बकाया किराया, भाड़ा

फिर मैं ने समझाया है
हिन्दी का गीत सुनाया है
ना गर्मी है ना जाड़ा है
हिन्दी का पखवाड़ा है
भई, हिन्दी का पखवाड़ा है

हो कोई हिन्दू, हो कोई मुस्लिम
इसाई, पारसी, सिख या सिन्धी,
देश की राष्ट्रभाषा है हिन्दी
मेरी भारत मां की बिन्दी

सबको इसका ज्ञान बढ़ाना
सबको इसका मान बढ़ाना
इसी लक्ष्य के आस–पास ही
बुना है इसका ताना बाना

राज भाषा है मेरे देश की हिन्दी
यह अमर ज्ञान का काढ़ा है
हिन्दी का पखवाड़ा है
भई, हिन्दी का पखवाड़ा है

अनु वर्मा,
एम.टी.एस.,
जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय (जयपुर)

**हिन्दी दिवस की
हार्दिक
शुभकामनायें**

आओ दिवाली मनाये

आओ, किसी गरीब के घर दीया जलाएं,
उसकी खुशियों में शामिल हो कर
प्यार भरी दीवाली मनायें
आओ किसी गरीब के घर दिया जलाएं,
आओ मिलकर दिवाली मनाएं
आओ जगाएं उनकी उम्मीदें
जहां नाउम्मीदों का अँधेरा हो
आओ, रोशन करें उन राहों को,
जिन राहों में गुमनामी का अँधेरा हो
अरे, हम दो दीया जला ही देंगे, अपने घर में
उठो चलो अब उस घर की ओर,
जिस घर में मातम पसरा है
आओ, एक कोशिश करें, सब मिल जुल कर,
उस घर में खुशियां देनें की
जहां गरीबी, भूखमरी व लाचारी है,
आओ, उस बालक, उस बहन, उस बूढ़ी मां से पूछें
जिनके घर में खुशियां एक बीमारी हैं
आओ, उस अधनंगे बालक के तन को ढ़क दें,
जो ठिठुरती ठंड में, टूटी झोपड़ी के बाहर
अपनी लाचारी में फिर भी खुश है, क्योंकि उसे पता है
आज बड़े घरों में दिवाली है
हर ओर फुलझड़ियों की जगमग रोशनी
मिठाइयों व उपहारों की भरमार है
आओ, उस बालक के मन में छुपी खुशियां ढूंढे,
और हटाये हर उस बुरी सोच को
जिसका नाम गरीबी, लाचारी व भूखमरी है,
आओ सब मिलकर वहां दिये जलाएं
जिन घरों में सिर्फ अँधेरा ही अँधेरा है
आओ एक घर मैं देखूं,
एक तुम भी देखो फिर तो जगमग देश हमारा है
आओ अपने इसां को जगायें
चलो, उठो व शपथ लें
किसी गरीब के घर दीया जलाएं
आओ, एक नई दिवाली मनायें,
एक नई दिवाली मनायें।

भूपेंद्र सिंह नेगी
सहायक निदेशक,
शिमला उप–क्षेत्रीय कार्यालय,
(शिमला)

हिन्दी दिवस का नारा

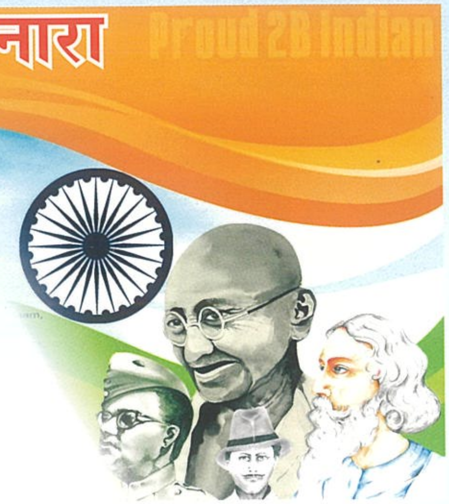

हिन्दी मेरा ईमान है
हिन्दी मेरी पहचान है
हिन्दी हूं मैं वतन भी मेरा
प्यारा हिन्दुस्तान है
हिन्दी की बिन्दी को
मस्तक पे सजा के रखना है
सर आंखों पे बिठायेंगे
यह भारत मां का गहना है
बढ़े चलो हिन्दी की डगर
हो अकेले फिर भी मगर
मार्ग के कांटे भी देखना
फूल बन जाएंगे पथ पर
हिन्दी को आगे बढ़ाना है
उन्नति की राह ले जाना है
केवल एक दिन ही नहीं हमने
नित हिन्दी दिवस मनाना है
हिन्दी से हिन्दुस्तान है
तभी तो यह देश महान है
निज भाषा की उन्नति के लिए
अपना सब कुछ कुर्बान है
निज भाषा का नहीं गर्व जिसे
क्या प्रेम देश से होगा उसे
राष्ट्र की पहचान है जो
भाषाओं में महान है जो
जो सरल सहज समझी जाए
उस हिन्दी को सम्मान है
अंग्रेजी का प्रसार भले
हम अपनी भाषा भूल चले
तिरस्कार मां भाषा का
जिसकी ही गोद में पले
भाषा नहीं होती बुरी कोई
क्यों हमने मर्यादा खोई
क्यों जागृति के नाम पर
हमने स्वभाषा ही डुबोई
हिन्दी के हिन्द का नारा है
प्रवाहित हिन्दी की धारा है
लाखों बाधाएं हो फिर भी
नहीं रूकना काम हमारा है
हम हिन्दी को ही अपनाएंगे
इसको ऊँचा ले जाएंगे
हिन्दी भारत की भाषा है
हम दुनियां को दिखाएंगे

मनोज कुमार, आशुलिपिक,
देहरादून उपक्षेत्रीय कार्यालय, (देहरादून)

ज़िन्दगी और मैं

मैं दो कदम चलता और एक पल रुकता मगर
इस एक पल में जिन्दगी मुझ से चार कदम आगे बढ़ जाती
मैं फिर दो कदम चलता और एक पल को रुकता और
और जिन्दगी फिर मुझ से चार कदम आगे बढ़ जाती
यूं ही जिन्दगी को जीतता देख मैं मुस्कराता और
जिन्दगी मेरी मुस्कराहट पर हैरान होती
और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता
फिर एक दिन मुझे हंसता देख कर सितारे ने पूछा
तुम हार कर भी मुस्कराते हो
क्या तुम्हें दुःख नहीं होता हार का ?
मैंने कहा
मुझे पता है, एक ऐसी सरहद आएगी
जहां से जिन्दगी चार कदम तो क्या
एक कदम भी आगे ना बढ़ पाएगी
तब जिन्दगी मेरा इंतजार करेगी
और मैं तब भी यूं ही चलता रुकता,
अपनी रफ्तार से अपनी धुन में वहाँ पहुंचूगां,
एक पल रूक कर, जिन्दगी को देखकर मुस्कुराऊंगा
बीते सफर को एक नजर देख अपने कदम फिर बढ़ाऊंगा
उसी पल मैं जिन्दगी से जीत जाऊंगा
क्यूंकि मैं हार पर भी मुस्कराता था और अपनी जीत पर भी
मगर जिन्दगी ना अपनी जीत पर ही मुस्करा पाई थी
और ना ही अपनी हार पर ।।

अमित कुमार वर्मा,
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, (जयपुर)

गाथा औरत की

गाथा औरत की लिखने जब मेरी कलम चलती है,
मेरे आंसूओं की धारा बहने लगती है।
देश में बहुत बेटियाँ मायूस और नाशाद है,
दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है?
इनकी हालत तो अभी तक हर जगह खराब है।
कम उम्र में शादी की गाड़ी में ये जोती गई,
कच्ची उम्र में बन के माएं जिन्दगी खोती गई।
आते जाते लोग जैसे फूलों की कलियों को तोड़ देते हैं,
उसी तरह अपनी बेटी का गला कोख मे घोट देते हैं,
भ्रूण हत्या का मसला गंभीर है।
रोती है कलम मेरी मुझे पता नहीं लगता,
यह स्याही है कि मेरी कलम का नीर है।
करना नहीं इश्क बेटी,
मां बाप सबक यही पढ़ाते हैं,
गाय भैंस की तरह जंजीर किसी
गैर के हाथ में पकड़ाते हैं।
कहने को तो औरत जहाज भी चलाती है,
पर दहेज की आग आज भी उसे जलाती है।
इतना दहेज लेकर तू और भी अभी मांगता,
अपनी बहु को जलाते समय तेरा हाथ क्यों नहीं कांपता।
कैसा समय यह आया कि नन्हीं बच्चियों को भी नहीं छोड़ते है
कहने को इक्कीसवीं सदी है, पर समय की तो यही हकीकत है,
गाथा औरत की लिखने जब मेरी कलम चलती है,
मेरे आंसूओं की धारा बहने लगती है।

सचिन्द्रनाथ पांजा
वाहन चालक स्पेशल ग्रेड, (मुख्यालय)

पिता

पिता, नहीं झल्लाते किसी पे
नहीं रोते अभावों का रोना
कि कितना मुश्किल है जीवन
सांसो की मनमानी कीमत पे
वे चबाते हैं रोटी में गूंथे माँ के शब्द
घर लौट आई बेटी की तरह चुपचाप
और
सुरज को बिस्तर पर उंघाते छोड़
निकल पड़ते हैं
तलाशने सभी के लिए खुशियों के शब्द
मानो रात ने रख दी हो सिरहाने
सपनों के मोरपंख
बदरंग दीवारों की सीलन बनकर देवताओं के आंसू
मिटा गया हो
कैलेंडर की पिछली तारीख।
कविताएं, पिताओं की आदिम बेटियॉ होती हैं
संजोएं रखते हैं बेटियों को जिन्दगी भर
किसी कवि की तरह।

पिता के बाद

पिता के बाद
ऐसा कहते है लोग
कि मायका
नहीं रह जाता मायका ।
भले क्यूं न
माँएं अंत तक
सुनाती रहती हैं
बेटियों को
बाबुल के गीत ।
बेटियाँ संजोये रखती है
सारे आंसुओं को
जो बहाये थे पिता ने
सीने से लगाकर उन्हें
घर के मायका बनने के दिन
रोती रहती हैं वे
पकड़कर माँ को छाती से
जब भी मिलती है
पिता के बाद ।
लोग ये भी कहते हैं
कि बेटियाँ नहीं बदलती
बदल जाता है घर–गांव
बनी रहती है
पिता की दुलारी
मायके में
बेटियाँ
रूदालियां हो जाती हैं
पिता के बाद।

सुंदर साव,
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक,
कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, (कोलकाता)

लौट चले पूरब की ओर

आओ अब लौट चले सब पूरब की ओर,

मिट्टी की सोंधी सुगंध की ओर,

पश्चिम ने अब तक हमें बहुत भरमाया है,

इसने हमारी भाषा,

सभ्यता और संस्कृति पर हीनता का लेबल लगाया है,

उभरती पीढ़ी भूल रही है संस्कार,

माता पिता और गुरूजनों का सत्कार,

उनके प्रति दिखता है अब स्वार्थी व रूखा व्यवहार,

इसीलिए आओ हम अब लौट चले पूरब की ओर।

राम, कृष्ण, बुद्ध और नानक आदर्शों की ओर,

कबीर के समतामूलक समाज और साफगोई की ओर,

आओ अब लौट चले सब पूरब की ओर।

जीवन मूल्यों और आदर्शों के पालन की ओर,

आओ अब लौट चले, सर्व सुखांति भव की ओर,

आओ अब लौट चले सब पूरब की ओर।

कुलभूषण कुमार,
सहायक प्रवर्तन अधिकारी, (मुख्यालय)

गुरु शरण

जीवन यथार्थ के गूढ अंतर्द्वन्दों से घिरा युवा शिष्य जब हताश होकर बैठता है, तब ऐसे में गुरु ही उसे ज्ञान वाणी द्वारा कर्म का मर्म बतलाते हैं–

हो रहा है तू तो अधिक अधीर
शिष्य। मुझसे कुछ ज्ञान तो ले
आ बैठ क्षणिक भर मेरे पास
आज इन्द्रियों का विज्ञान तो ले
हे शिष्य तू तो इस धरती पर
विपुल उत्सुकता में ही जीया है
असंख्य तर्क द्वंदों से टकराकर
हताशा रस ही तूने पीया है
बतलाऊं तुझे है जीवन कर्म
सतत श्रम का तू नाम तो ले
प्रकृति प्रदत्त तेरे मस्तिष्क बाहु
स्वयं इनसे कुछ काम तो ले
नहीं चल सकता हूँ मैं तेरे साथ
गुरु सीमा मुझे रोकती है
संवेग प्रदान करूंगा तुझे
इससे आगे अतिश्योक्ति है
फिर भेदेगा तू जीवन धारा
इंद्रिय अधिकारी बनेगा तू
समय गर्त में छुप जाऊंगा मैं
ज्ञान उत्तराधिकार रहेगा तू
माना लक्ष्य न दे सकूं मैं तुझको
कम से कम मुझसे मार्ग तो ले
कहता है चलूंगा मैं इस पर
चल आज इसे पहचान तो ले।

राजकुमार सिंह,
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
देहरादून उप–क्षेत्रीय कार्यालय, (देहरादून)

हे ईश्वर

हे ईश्वर अगर चाहते हो,
तुम मैं कष्टों को सहकर महान बनूं,
तो भेज दो उन सभी कष्टों को,
जो मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले सकें।
भेज दो अपनी उस अग्नि को,
जिसमें जलकर मैं सोने से कुंदन बन जाऊं,
अगर भेजा है मुझे इस दुनियां में,
तो दुनियां के झंझवातों से,
पार पाने की शक्ति दो,
अगर भेजा है मुझे इस धरती पर,
तो दोस्तों, दुश्मनों को पहचानने की शक्ति दो
नहीं है कामना मेरी,
कि मेरे लिए मंजिल का रास्ता बनाओ,
मुझ पर तो बस इतनी दया करना प्रभु,
मुझे मेरी मंजिल का रास्ता दिखा देना।

आशीष कुमार बर्णमाल,
सहायक प्रवर्तन अधिकारी,
इंदौर उप क्षेत्रीय कार्यालय, (इंदौर)

प्रकृति और मां

प्रकृति के इस सौंदर्य में कैसा ये क्रंदन उठता है !
काश, सुन पाता सारा जग
क्यूं इसका अंतर्मन रोता है?
आकर्षित करता सबको
अद्‌भुत सौंदर्य इसका पर कोई
अपना नहीं बनाता
वर्णन करते हैं सब पर कोई
सीने से नहीं लगाता करते हैं सब दोहन इसका !
मां क्या तुम्हारी भी यह स्थिति नहीं
ममतामयी स्निग्ध, मीठी मिश्री सी है
पर भीतर उठता दर्द नहीं समझ पाते हम
इस धारा की तरह अपने भीतर के ज्वालामुखी को
आज लावा बन बहने दो !

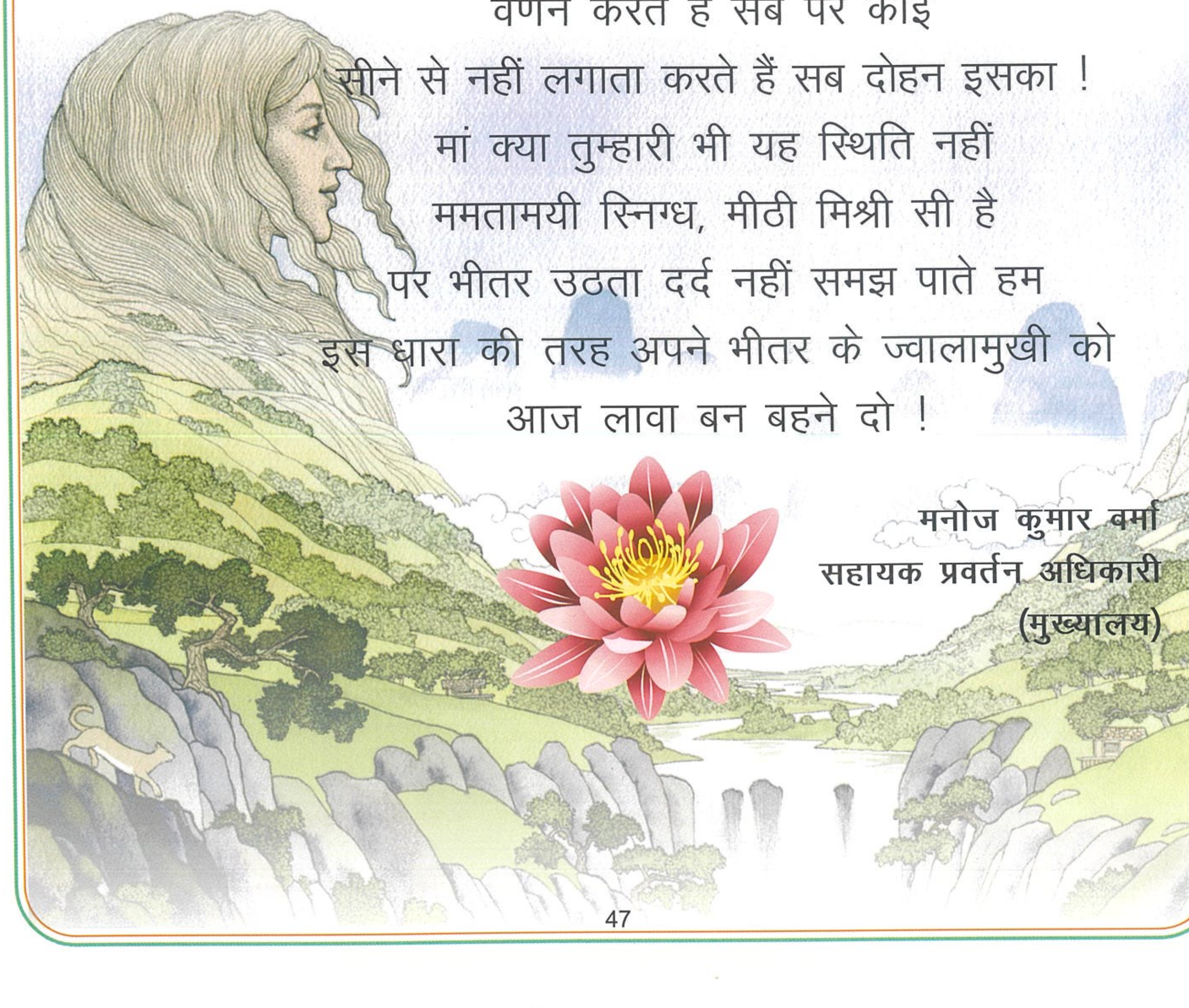

मनोज कुमार बर्मा
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
(मुख्यालय)

पानी

रस है जीवन
का रसायन
पानी
है वनस्पति का
हरापन पानी
पानी, पानी है सभी मुखड़ों का
सच में जीवन का है, जीवन पानी
प्यासे कंठो को है शरबत पानी
उर्वरा भूमि की है ताकत पानी
यह तुम्हारे लिए पानी होगा
पर किसानों को अमृत है पानी
मानते है सब है की अमृत पानी
देह में दीप का है घृत पानी
दिव्य होकर भी मनुष्यों द्वारा
आह कितना है निराद्रत पानी
जानकर ढोला है वेजा पानी
गर वरूण ने नहीं भेजा पानी
एक–एक बूंद को तरसेगी सदी
आपने गर न सहेजा पानी।

अशोक कुमार श्रीवास्तव
सहायक निदेशक,
उप क्षेत्रीय कार्यालय, (इंदौर)

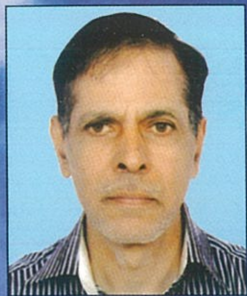

एक दिन ऐसा भी आऐगा।

किसको था मालूम कि एक दिन ऐसा भी आऐगा।
स्वार्थ की काली आंधी में सब तहस नहस हो जायेगा।
धर्म –जात के नाम पे इतनी तलवारें खिच जायेगी ।
भाई ही अपने भाई का खुल के खून बहायेगा ।
प्यार भरे दो बोल की खातिर इतनी ठोकर खायेंगे।
नफरत का काला बादल हर दिल पे ऐसा छायेगा ।
सोच हमारी ऐसे एक अंधियारे में गुम जायेगी ।
सही गलत का फर्क भी करना हमसे ना हो पायेगा।
बागीया तो होगी लेकिन ये फूलों से खाली होगी।
फूल की ख्वाहिश मर जायेगी काटा मन को भायेगा।
मधुर–मधुर खुशी के पल अब यादों में ही आयेंगे ।
कोयल जैसे गीत कोई बस सपनो में ही गायेगा।
एक दूजे के मुँह से रोटी ऐसी भी छीनी जायेगी।
देख के हम सब की हालत पे कौआ भी शरमाऐगा ।
गुजारिश है कि दुनिया में कुछ ऐसा सदेंश दे जो, ।
आने वाला आयेगा गुण गाऐगा गुण गाऐगा गुण गाऐगा।

ज़े०ऐ०ज़ैदी,
सहायक (मुख्यालय)

'आँसू'

जो घनीभूत पीड़ा थी,
मस्तक में स्मृति–सी छायी,
दुर्दिन में आँसू बनकर,
जो आज बरसने आयी।
ये मेरे क्रंदन में बजती,
क्या वीणा? – जो सुनते हो,
धागों से इन आँसू के,
निज करुणा–पट बुनते हो।
रो–रोकर, सिसक–सिसक कर,
कहता मैं करुण–कहानी,
तुम सुमन नोचते सुनते,
करते जानी अनजानी।

कन्हैयालाल, सहायक
(मुख्यालय)

सुबह

सुबह का सूरज कितना प्यारा।
कर देता है हर ओर उजियारा।।
होते ही सुबह चिड़ियाँ बोले।
फूल खिले और कलियां डोले।।
सुबह होती है कितनी प्यारी।
ला देती है खुशियां सारी।।
गुन–गुन करता भँवरा आए।
मीठे–प्यारे गीत सुनाए।।
ताजी–ताजी हवा चले।
पाकर इसको तन–मन खिले।।
सुबह अच्छी लगे उनको।
मेहनत प्यारी लगे जिनको।।
सुख देती है ये अलबेला।
ये सुबह की है सुखबेला।।

हरेंद्र
अवर श्रेणी लिपिक
(मुख्यालय)

देश

ग्राम, नगर या कुछ लोगों का काम नहीं होता है देश,
संसद, सड़कों आयोगों का नहीं होता है देश,
देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान,
देश नहीं होता है कोई सजी हुई दुकान,
देश नहीं क्लब जिसमें बैठकर करते रहे सदा हममौज,
देश नहीं केवल बंदूकें, देश नहीं होता है फौज
जहां प्रेम के दीपक जलते वहीं हुआ करता है देश।
जहां इरादे नहीं बदलते वहीं हुआ करता है देश।
सज्जन सीना ताने चलते वहीं हुआ करता है देश।
हर दिल में अरमान मचलते वहीं हुआ करता है देश।
वही होता तो सचमुच आगे बढ़ता कदम–कदम धर्म,
जाति, भाषाएं जिसका ऊँचा रखती हैं,
परचम पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश।
एकदम कतासत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश।

पुलकित गोदारा, अवर श्रेणी लिपिक,
सूरत उप–क्षेत्रीय कार्यालय,
(सूरत)

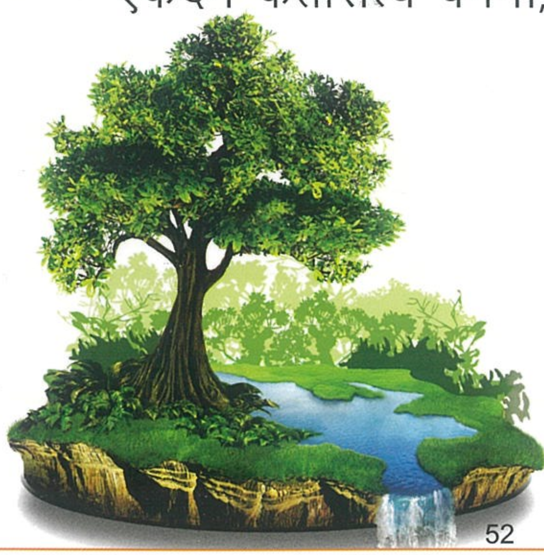

प्रवर्तन दिवस, 2015 के अवसर पर मुख्य अतिथि के साथ प्रवर्तन निदेशक से प्रशस्ति–पत्र प्राप्तकर्त्ता और श्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यालय के पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई सम्पति

प्रवर्तन निदेशालय
छठा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003